

10

समयमान वेतनमान

विषय सूची

क्रो सं०	विषय	शासनादेश सं० तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश की वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समय-मान वेतनमान की स्वीकृति	सं० 1014 / ०१ वित्त / 2001, देहरादून, दिनांक-12 मार्च, 2001	5-10
2	समयमान वेतनमान की स्वीकृति के शासनादेश का स्पष्टीकरण	सं० 6011 / विंसं०शा०/2001, देहरादून, दिनांक-22 जून, 2001	11-12
3	समयमान वेतनमान शासनादेशों में संशोधन	सं० 345 / विंअनु०-३/2001, देहरादून, दिनांक-22 अक्टूबर, 2001	13-14
4	वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति	सं० 134 / विंअनु०-३/2001, देहरादून, दिनांक-01 दिसम्बर, 2001	15-22
5	प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र के समकक्ष स्तर के शिक्षकों के समान वेतनमान का संशोधन	सं० 160 / विंअनु०-३/2001, देहरादून, दिनांक-20 दिसम्बर, 2001	23-26
6	समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाना	सं० 1049 / विंअनु०-३/2003, देहरादून, दिनांक-16 अक्टूबर, 2003	27-28
7	समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन राजकीय वाहन चालकों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाना	सं० 1123 / विंअनु०-३/2004, देहरादून, दिनांक-07 जनवरी, 2004	29-30
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समयमान वेतनमान के विषय में निर्देश	सं० 415-XXVII(3)/2004, देहरादून, दिनांक-19 जुलाई, 2004	31-32
9	वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति	सं० 210 / XXVII(3) स०वे० / 2005, देहरादून, दिनांक-07 जून, 2005	33-34

10	समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण	सं0 327 / XXVII(3)स0वे0 / 2005, देहरादून, दिनांक—23 अगस्त, 2005	35—42
11	समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण	सं0 368 / XXVII(3)स0वे0 / 2005, देहरादून, दिनांक—23 अगस्त, 2005	43—44
12	समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण	सं0 94 / XXVII(7)स0वे0 / 2006, देहरादून, दिनांक—19 जून, 2006	45—46
13	वेतन समिति (1997—99) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति	सं0 235 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक—20 नवम्बर, 2006	47—48
14	वर्ग 'घ' के कर्मचारियों को 14 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य प्रथम प्रोन्ट वेतनमान रु0 2610—60—3150—65—3540 के अधिकतम पर पहुंचने पर 16 वर्ष के पूर्ण होने एवं 23वें वर्ष में क्रमशः एक—एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि की अनुमन्यता	सं0 267 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक—28 नवम्बर, 2006	49—50
15	राज्य सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के निजी सचिव श्रेणी—1 के अधिकारियों को नॉन—फंक्शनल आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध में	सं0 72 / XXVII(7) / 2007, देहरादून, दिनांक—29 मई, 2007	51—52
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में आ रही विसंगति के निराकरण के संबंध में वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुति का क्रियान्वयन	सं0 189 / XXVII(7) / 2007, देहरादून, दिनांक—31 जुलाई, 2007	53—54
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में आ रही विसंगति के निराकरण के संबंध में वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुति का क्रियान्वयन	सं0 190 / XXVII(7) / 2007, देहरादून, दिनांक—31 जुलाई, 2007	55—56
18	प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्ति वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें वाहन चालक ग्रेड—1 के पदों पर समायोजित किये जाने के संबंध में	सं0 226 / XXVII(7) / 2007, देहरादून, दिनांक 22 अगस्त, 2007	57—58
19	उत्तराखण्ड सचिवालय के समीक्षा अधिकारी एवं अपर निजी सचिव के पदों के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में	सं0 228 / XXVIII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक 22 अगस्त, 2007	59—60
20	फार्मेसिस्ट संवर्ग के चीफ फार्मेसिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी, फार्मेसी के पद के वेतनमान संशोधित किये जाने के संबंध में	सं0 225 / XXVII(7) चतु0 बै0ची0फा0 / प्र0अ0धि0फा0 / 2007, देहरादून, दिनांक—20 सितम्बर, 2007	61—62
21	कुमायूँ मण्डल विकास निगम के वाहन चालकों का वेतनमान संशोधित कराया जाना	सं0 286 / XXVII(7)त०बै0ग0म० वि0नि0वा0चा0 / 2007, देहरादून, दिनांक—20 सितम्बर, 2007	63—64

22	सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक वर्ग-1/अपर जिला सहकारी अधिकारी के वेतनमान संशोधन के संबंध में	सं0 235 / XXVII(7) ४०वे०सह० नि०/२००७, देहरादून, दिनांक-०५ अक्टूबर, २००७	65-66
23	वेटनरी फार्मासिस्टों एवं चीफ वेटनरी फार्मासिस्टों के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में	सं0 302 / XXVII(7) ४०वै०वेट० फा०ची०वेट०फा०/२००७, देहरादून, दिनांक-०५ अक्टूबर, २००७	67-68
24	नगर निगम के फार्मासिस्ट के पदों के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में	सं0 303 / XXVII(7) ४०वे०-१० नि०फा०/२००७, देहरादून, दिनांक-०५ अक्टूबर, २००७	69-70
25	अभियोजन शाखा में विद्यमान विभिन्न श्रेणी के पदों के वेतनमानों के संशोधन के संबंध में	सं0 304 / XXVII(7) ४०वै०अभि०/२००७, देहरादून, दिनांक-०५ अक्टूबर, २००७	71-72
26	युवा कल्याण विभाग के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, व्यायाम प्रशिक्षक एवं जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पदों के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में	सं0 284 / XXVII(7) पंच०वै०न०नि० फा०/२००७, देहरादून, दिनांक-१५ अक्टूबर, २००७	73-74
27	स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में पी०टी०आई०/ ग्राउण्ड इन्वार्ज के पद का वेतनमान संशोधन के संबंध में	सं0 318 / XXVII(7)पंच०वै०न०न० नि०फा०/२००७, देहरादून, दिनांक-१५ अक्टूबर, २००७	75-76
28	संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद के वेतनमान संशोधन के संबंध में	सं0 322 / XXVII(7) पंच०वै० न०नि०फा०/२००७, देहरादून, दिनांक-१५ अक्टूबर, २००७	77-78
29	कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के वेतनमानों के संशोधन के संबंध में	सं0 235 / XXVII(7) पंच०वै० कृषि/२००७, देहरादून, दिनांक १७ अक्टूबर, २००७	79-80
30	चिकित्सा विभाग के खाद्य निरीक्षक पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में	सं0 331(2)XXVII(7)/आठवीं बै० चि०वि०/२००७, देहरादून, दिनांक-०४ दिसम्बर, २००७	81-82
31	सूचना विभाग के लेखा संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में	सं0 331(4)/ XXVII(7)आठवीं बै०सू०वि०/२००७, देहरादून, दिनांक-०४ दिसम्बर, २००७	83-84
32	पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारी पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में	सं0 19 / XXVII(7)आठवीं बै०पश०वि०/२००८, देहरादून, दिनांक-१० जनवरी, २००८	85-86
33	स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कतिपय पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में	सं0 21 / XXVII(7) आठवीं बै०स्टा० एवं पंजी०/२००७, देहरादून, दिनांक-१० जनवरी, २००८	87-88
34	स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में पी०टी०आई०/ ग्राउण्ड इन्वार्ज के पद का वेतनमान संशोधन के संबंध में	सं0 24 / XXVII(7) नवीं बै०खेल वि०/२००८, देहरादून, दिनांक-१३ फरवरी, २००८	89-90
35	मा० उच्च न्यायालय के उप निबंधक के वेतनमान संशोधन के संबंध में	सं0 141 / XXVII(7) दसवीं बै०न्याय वि०/२००८, देहरादून, दिनांक-२७ मार्च, २००८	91-92

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त (सामान्य) अनुभाग:

देहरादून: दिनांक:— 12 मार्च, 2001

विषय:— पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश की वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये समय—मान वेतनमान की स्वीकृति। महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों को पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश की वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों के क्रम में उत्तरोत्तर उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:—वे03A0—2—560/दस—45(एम)—99, दिनांक:— 02 दिसम्बर, 2000 (संलग्नक—1) के अनुरूप उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों को भी तदनुसार समय—मान वेतनमान की व्यवस्था लागू करने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— प्रस्तर—1 में सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर—6 को इस सीमा तक संशोधित माना जाये कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाये, उनको नगद भुगतान दिनांक:— 01 अप्रैल, 2001 से किया जायेगा तथा इसके पूर्व की देय धनराशि भविष्य निधि में जमा की जायेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तब अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाये। जो अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 30 जून, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें नगद में भुगतान किया जाय।

3— उत्तरांचल राज्य का गठन दिनांक:— 09 नवम्बर, 2000 से हुआ है। अतः दिनांक:— 01 जनवरी, 1996 से दिनांक:— 08 नवम्बर, 2000 की धनराशि का भुगतान मुख्य लेखा शीर्षक—8793—अन्तर्राज्यीय समायोजन उ0प्र0 पुनर्गठन के अधीन किया जाय तथा दिनांक: 09 नवम्बर, 2000 से विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षक के अधीन आवंटित बजट के सापेक्ष पुस्तांकित किया जाय। दिनांक:— 08 नवम्बर, 2000 तक के भुगतान का प्रभाजन महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल द्वारा जनसंख्या के आधार पर करके प्रतिपूर्ति उत्तरांचल राज्य को की जाय।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय,
इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव

संख्या: 1014 / 01 / वित्त / 2001, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. रजिस्ट्रार मा० उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार (उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल) सत्यनिष्ठा भवन, 5-ए थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
7. रेजिडेन्ट कमिशनर, उत्तरांचल नई दिल्ली।
8. उत्तरांचल शासन के सभी अनुभाग।
9. राज्य सेवाओं के उत्तर प्रदेश स्थित वेतन पर्ची प्रकोष्ठ।
10. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(के.सी. मिश्र)
अपर सचिव

प्रेषक,

श्री वी० के० मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 2 दिसम्बर, 2000

विषय:—वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (वेतन
आधोग)
अनुभाग-२

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, समयमान वेतनमान की निम्न व्यवस्था लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रथम वेतनवृद्धि

प्रथम वैयक्तिक
प्रोन्तीय/
अगला वेतनमान

1—(1) उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी, जो एक पद पर ४ वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद की तिथि को पूर्ण करते हैं, उन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाय।

(2) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से ६ वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, की प्रोन्ति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्ति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्तीय/अगला वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से ६ वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबन्ध ४ वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्तीय/ अगले वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अधिकारी/ कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना आवश्यक है। अन्य शर्तों की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।

प्रथम वैयक्तिक
प्रोन्तीय/अगले
वेतनमान में
वेतनवृद्धि

(3) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्तीय/अगले वेतनमान में ५ वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्तीय/ अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत १६ वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्तीय वेतनमान/ अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उसे उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्तीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से ४ वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त ऐसे वैयक्तिक प्रोन्तीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

द्वितीय वैयक्तिक
प्रोन्तीय/अगला
वेतनमान

(4) प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक प्रोन्तीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर-1(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से ५ वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम २४ वर्ष की सेवा पर द्वितीयक्षम रूप से द्वितीय प्रोन्तीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके संबंध में प्रोन्ति का पद उपलब्ध नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

ਪੰਜਾਬ

इन्द्र कुमार पाण्डे

३

संस्कृत विद्या

स्वेच्छा में

समस्त प्रभु उचित / सचित

संस्कृत व्रुद्धि सा-
इतिरांचल शासन

देवानगरी

वित्त संसाधन अनुभाग

विषय—समयमान वेतनमान की स्वीकृति के शासनादेश का स्पष्टीकरण।

देहरादून: दिनांक-22 जून, 2001

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजकीय कमचारियों का पूत्रात्तर उत्तर प्रदेश की वेतन समिति (1997-99)की संस्तुतियों के क्रम में उत्तरोत्तर उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-वे-आ-560 / दस-45(एम)-99,दिनांक-2 दिसम्बर,2000 के सन्दर्भ में उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-1014 / 01 वित्त/2001 दिनांक-12 मार्च,2001 निर्गत किया गया था। विभिन्न विभागों द्वारा समयमान वेतनभान के शासनादेश की व्यवस्थाओं को लागू किये जाने के विषय में प्राप्त हुई जिज्ञासाओं के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा समयमान वेतनभान के अपने पूर्व निर्गत शासनादेश का स्पष्टीकरण निर्गत कर दिया है। अतः उनके द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के शासनादेश संख्या-वे0आ02-604 / दस-2001-45(एम)1999,दिनांक- 10 अप्रैल,2001 संलग्नक) के क्रम में उत्तरांचल में भी समान व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1014 / 10 वित्त / 2001 दिनांक-12 मार्च, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये और इसकी शेष सभी रार्टे यथायत लागू रहेगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भावदीय

इन्दु कुमार पांडे
संधिष्ठ

संख्या-६०११ / वि.सं.शा. / २००१ तददिनांक:

गविलिपि विज्ञलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
 - 2— रजिस्टर मा० उच्च न्ययालय, उत्तरांचल नैनितालं
 - 3— मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
 - 4— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
 - 5— महालेखाकार उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल सत्यनिष्ठा भवन, ५-६ थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
 - 6— पुर्नगठित आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
 - 7— रेजिडेन्ट कमिश्नर उत्तरांचल नई दिल्ली।
 - 8— उत्तरांचल शासन के सभी अनुमाग।
 - 9— राज्य सेवाओं के उत्तर प्रदेश स्थित वेतन पर्ची प्रकोष्ठ।
 - 10— समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से

(कै०सी०गिश)
अपर सुचिव

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे.

- (1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग- 3

देहरादून : दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

विषय :- समयमान वेतनमान शासनादेशों में संशोधन।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति संबंधी वित्त (सामान्य) अनुभाग के शासनादेश संख्या-1014/01 वित्त/2001, दिनांक 22 मार्च, 2001 के साथ पठित शासनादेश संख्या-6011/विंशती-शासन/2001, दिनांक 22 जून, 2001 द्वारा लागू समयमान वेतनमान के विषय में विभागों एवं संगठनों से प्राप्त हुए प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु0 10,500/- तक है, के लिये उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था में निम्न प्रकार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल, 2001 के प्रस्तर- 2 (2) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित कर दिया जाय :-

“जिन पदधारकों को वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान दिनांक 01-03-1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन 16 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर अथवा दिनांक 01-3-1995 से संशोधित व्यवस्था के अधीन 14 वर्ष से अधिक की सेवा पर अनुमन्य हुआ हो, उन्हें 01-03-1995 से संशोधित समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ उस वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य होगा।”

(2) (क)- उपर्युक्त श्रेणी के पदधारक जिन्हें 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के पद के सन्दर्भ में दो प्रोन्नति/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियां अनुमन्य नहीं हुई हों, परन्तु जिन्हें एक पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हों और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हों उनकी 24 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01-03-2000 जो भी बाद में हो, से सीधी भर्ती के पद के सन्दर्भ में द्वितीय प्रोन्नति/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करा दिया जाय।

(2) (ख)- उपर्युक्त प्रस्तर- 2 (क) के अनुसार संशोधित व्यवस्था से लाभान्वित होने के उपरान्त, सम्बन्धित कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन आगे अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3)- शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2001 के संलग्नक के प्रस्तर 4 (1) में लागू व्यवस्थानुसार अगले वेतनमान की अनुमन्यता के मामलों में वेतनमान रु0 2750-4400 तथा रु0 4500-7000 के लिए अगला वेतनमान क्रमशः रु0 3200-4900 तथा रु0 5000-8000 माना जाय।

2- उपर्युक्त विषय में शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2001 तथा 22 जून, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। उक्त शासनादेशों की शोष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।


इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव, वित्त।

संख्या : 345 /विवेकनु-3/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1)- महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव।
- (2)- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- (3)- उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- (4)- इरला चेक अनुभाग।
- (5)- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
- (6)- समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।


आज्ञा से,


(के०सी०मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या : 345 /विवेकनु-3/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आज्ञा से,


(के०सी०मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या : 345 /विवेकनु-3/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि :- सचिव, विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,


(के०सी०मिश्र)
अपर सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1- सचिव शिक्षा/सचिव कृषि उत्तरांचल शासन।
- 2- शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा उत्तरांचल
- 3- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल पौडी
- 4- वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 1 दिसम्बर 2001

विषय:-

वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-181/दस-97-1-शिक्षा/97, दिनांक 20 फरवरी 1997 में राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए दिनांक 1-1-1996 से लागू वेतनमानों में समयमान वेतनमान की व्यवस्था, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1007/दस-17जी-98, दिनांक 10-7-1998 के प्रस्तर-4 द्वारा दिनांक 1-1-1996 के बाद रथगित कर दी गई थी। श्री राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10-7-1998 के प्रस्तर-4 को निरस्त करते हुए वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर प्रदेश की सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20-2-1997 में जारी समयमान वेतनमान की व्यवस्था को दिनांक 1-1-1996 से प्रभावी वेतनमानों में भी यथावत् बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

वेतन निर्धारण/ 2-(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में वेतनवृद्धि स्वीकृति होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी का वेतन अनुमन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात्

वेतनवृद्धि की तिथि वही रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न पाने की दशा में होती।

(3) ऐसे मामलों में जहाँ समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि का लाभ संवर्ग में किसी वरिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 के पूर्व तथा कनिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4) वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसे कमशः पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो कमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान जैसी भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि, वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि तक अनुमन्य हो रहा हो, तो पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अलग-अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे

कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पद धारक पुनरीक्षित वेतनमान से वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिए अहं होती है तो उसे यह लाभ वर्तमान वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(9) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है जो उसे दिनांक 1-1-1996 तक या उसके बाद से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिला हो, तो ऐसे पद पर उसका वेतन शासन के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 22-ए (1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होगा और इसमें मूल नियम 22-बी के प्राविधान लागू नहीं होंगे तदनुसार शासनादेश संख्या प0मा0नि0-357/दस- 21(एम) / 97 दिनांक 31 दिसम्बर 1997 के प्रस्तर-8(1) तथा प्रस्तर-8(2) निरस्त समझे जाये।

वृद्धिरोध वेतनवृद्धि 3-(1) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु0 10500 तक है जब अपने वेतनमान के

अधिकतम पर पहुँचने के फलस्वरूप वृद्धिरोध की स्थिति में आ जाय तो उनके वेतनमान को उसमें अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर तीन वेतनवृद्धियों की धनराशि जोड़कर बढ़ा दिया जाय। यह वेतनवृद्धियों संबंधित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात वार्षिक आधार पर देय होगी। वृद्धिरोध वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को ही अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पहुँचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में वेतनवृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु संबंधित पदधारक के पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रुपया 10500 से अधिक हैं, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि दी जाय। ऐसे वेतनवृद्धियों के अधिकतम संख्या तीन होगी।

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय

/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमन्य नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को संबंधित वेतनमान का भाग माना जायेगा तथा मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

शर्ते एवं प्रतिबंध4— (1) उपर्युक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नतीय के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर संबंधित पद धारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नतीय का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हो तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी अधिकारी / कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे वह वेतनमान अनुमन्य होगा जो शासनादेश संख्या—प0मा0नि0-357 / दस-21(एम) / 97 दिनांक 31 दिसम्बर 1997 के संलग्नक—ग पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पद धारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होंगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा।

(3) सन्तोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्ग दर्शक व्यवस्था शासनादेश संख्या—761/ कार्मिक—1 / 93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गई है। अतः समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि/वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सन्तोषजनक सेवा का निर्धारण उक्त शासनादेश के अनुसार किया जाय।

4) किसी अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इनकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके बाद देय सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा । इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला उच्च वेतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों के मामले को सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है ।

(5) यदि किसी कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1996 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है और उसे सेवा अवधि के आधार पर वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य से देय हो, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा ।

(6) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य उपर्युक्त चार लाभों में से यदि किसी पदधारक को कोई लाभ दिनांक 1-1-1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वह लाभ पुनः नहीं मिलेगा उसे तत्पश्चात देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुमन्य होगा ।

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ देने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा के शर्त के परीक्षण हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह लाभ अनुमन्य होने पर तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जाय । परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनांक 1-1-1996 के बाद आदेश जारी किये जा चुके हैं, उनके लिये पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी । प्रोन्नति/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे ।

- रु0 8000—
13,500 या
उससे उच्च
के
समयमान
व्यवस्था
- 5— ऐसे पदधारक जिनके पद का दिनांक 1-1-1996 से
लागू पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 8000—13500 या उससे
अधिक है, के लिये समयमान वेतनमान की पदों पर वेतनमान
पूर्व वेतनमानों में लागू व्यवस्था (जिसे दिनांक
1-1-1996 से स्थगित कर दिया गया था) पुनरीक्षित वेतनमान
वेतनमानों में दिनांक 31-12-2000 तक लागू रहेगी की
दिनांक 1-1-2001 या उसके पश्चात् उपुयक्त वेतनमान के
पदों पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश
अलग से जारी किये जायेंगे।
- अवशेष 6—
भुगतान की
प्रक्रिया
- (1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के
फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-12-2001
से भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से दिनांक
30-11-2001 तक की देय समस्त अवशेष धनराशि सम्बन्धित
कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जो
दिनांक 30-11-2003 तक निकाली नहीं जा सकेगी। यदि
कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है और
यह आवंटन विभागाध्यक्ष द्वारा होना है, तो उसे तुरन्त कर दिया
जाये। यदि यह खाता आवंटित नहीं होता है, तो उस स्थिति
में उसे अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
(एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। परन्तु धनराशि के जिस
अंश का एन0एस0सी0 उपलब्ध न हो, वह नकद दे दी जायेगी।
- (2) 30-11-2001 तक सेवा निवृत्त हुए अधिकारियों
/कर्मचारियों के मामले में तथा इस तिथि तक मृत्यु की दशा
में उनको देय धनराशि का भुगतान इस शासनादेश के
निर्गमोपरान्त नकद किया जा सकता है।
- 7— उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी
/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिये संशोधित विकल्प
प्रस्तुत करना चाहे, तो उसे इस शासनादेश के जारी होने
अथवा सम्बन्धित पद धारक को उपयुक्तता अनुसार लाभ
स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने की तिथि,
जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर संशोधित विकल्प
प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
- 8— (1) इस शासनादेश द्वारा जारी व्यवस्था ऐसे शैक्षिक पदों पर भी
लागू होगी, जहाँ पूर्व में समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर
कर्मचारियों के समान अनुमत्य था।

(2) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप, उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 / 10 जुलाई, 1998 एवं उसके कम में जारी अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

भवदीय,


इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव वित्त

संख्या-134(1)/वित्त अनुभाग-3/2001, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— सचिव, श्री राज्यपाल, देहरादून।
- 2— मानव संसाधन अनुभाग/कृषि अनुभाग, उत्तरांचल शासन
- 3— समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 4— समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल।
- 5— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
- 6— समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ, उत्तरांचल।
- 7— उत्तरांचल के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
- 8— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
- 9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(कै०सी०मिश्र)
अपर सचिव वित्त

संख्या-134 (1)वित्त अनुभाग-3/2001 तददिनांकित।

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, 5-ए, थार्नहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,


(कै०सी०मिश्र)
अपर सचिव वित्त

संख्या- 160 (1) / वि०अनु०-३ / 2001 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
 - 2- सचिवालय के समर्त अनुभाग ।
 - 3- निदेशक, कोषागार एवम स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 23, लक्ष्मीरोड, डालनवाला देहरादून ।
 - 4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
 - 5- समस्त मडलीय, संयुक्त निदेशक, शिक्षा, उत्तरांचल ।
 - 6- समस्त मडलीय, उप शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल ।
 - 7- समस्त मडलीय, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उत्तरांचल ।
 - 8- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित की वे इसकी पांच सौ प्रतियां मुद्रित करके तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(के० सी० मिश्र)

अपर सचिव, वित्त ।

संख्या:- 160 (2) / वि०अनु०-३ / 2001 तददिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवम हकदारी), उत्तरांचल, इलाहाबाद को भी सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(के० सी० मिश्र)

अपर सचिव, वित्त ।

क०स० पदनाम

दिनांक 1-1-1996 से लागू
वर्तमान वेतनमानदिनांक 1-7-2001 से संशोधित
वेतनमान

1

2

3

4

बेसिक शिक्षा**प्राथमिक शिक्षा**

(क) साधारण वेतनमान

3600-85-4450-100-5350

4500-125-7000

(ख) चयन वेतनमान

4000-85-4680-100-5780

5000-150-8000

(ग) प्रोन्नत वेतनमान

5500-175-9000

प्राधानाध्यापक प्राइमरी /**अध्यापक उच्च प्राथमिक****शिक्षा**

(क) साधारण वेतनमान

4250-100-5150-125-6400

5500-175-9000

(ख) चयन वेतनमान

4625-125-6750

6500-200-10500

(ग) प्रोन्नत वेतनमान

7500-250-12000

प्राधानाध्यापक उच्च**प्राथमिक शिक्षा**

(क) साधारण वेतनमान

4625-120-7000

6500-200-10500

(ख) चयन वेतनमान

4800-150-7650

7500-250-12000

(ग) प्रोन्नत वेतनमान

8000-275 - 13500

माध्यमिक शिक्षा**एल० टी० शिक्षक**

(क) साधारण वेतनमान

4500-125-7000

5500-175-9000

(ख) चयन वेतनमान

5500-175-8650

6500-200-10500

(ग) प्रोन्नत वेतनमान

6500-200-10500

7500-250-12000

प्रवक्ता

(क) साधारण वेतनमान

5500-175-8650

6500-200-10500

(ख) चयन वेतनमान

6500-200-10500

7500-250-12000

(ग) प्रोन्नत वेतनमान

8000-275-13500

8000-275-13500

प्राधानाध्यापक हाईस्कूल

(क) साधारण वेतनमान

6500-200-10500

7500-250-12000

(ख) चयन वेतनमान

8000-275-13500

8000-275-13500

प्राधानाध्यार्थ

(क) साधारण वेतनमान

8000-275-13500

10000-325-15200

(ख) चयन वेतनमान

10000-325-15200

(क० सी० मिश्र)

अपर सचिव, वित्त।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 16 अक्टूबर, 2003

विषय— समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1014/01/वित्त/2001, दिनांक 12 मार्च, 2001 संलग्नक के प्रस्तर-4 (1) के साथ सपष्टित शासनादेश संख्या 345/विंशु०-३/2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमान ₹0 2550-3200 में कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं हो, उनको 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तथा वेतनमान ₹0 2610-3540 के पद पर कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिन्होंने उक्त पद पर 14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत अगला उच्चतर वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु वेतनमानों की सूची में उपलब्ध ₹0 2650-4000 के वेतनमान को संज्ञान में न लेते हुए (इन्होंने करते हुए) ₹0 2750-4400 का वैयक्तिक/अगला वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त प्रोन्नत वेतनमान दिनांक 1-1-96 से ही अनुमन्य किया जायेगा और देय तिथि से 30 सितम्बर, 2003 तक का अवशेष सम्बन्धित कर्मी के भविष्यनिधि खाते में जमा किया जायेगा और दिनांक 1 अक्टूबर, 2003 से यह नगद मुगतान किया जायेगा। यदि उक्त अवधि में कोई कर्मी सेवानिवृत्ति हो गया हो, उसे उक्तानुसार देय धनराशि नगद मुगतान की जायेगी।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2001 तथा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
6. वित्त अधिकारी, उत्तरांचल शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के० सी० मिश्र^१
अपर सचिव, वित्त।

पत्र संख्या:-1123 / विंशु०-३ / 2004

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक:- 07 जनवरी, 2004

विषय:- समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन राजकीय वाहन चालकों को
वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या:-1014 / 01 वित्त / 2001, दिनांक 12 मार्च, 2001 के संलग्नक के प्रस्तर-4 (1) के साथ पठित शासनादेश संख्या-345 / विंशु०-३ / 2001, दिनांक:- 22 अक्टूबर, 2001 के प्रस्तर 1 (3) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय वाहन चालकों की 14 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के पश्चात् रु 4000-6000 का प्रथम प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान-एवं 24 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर रु 4500-7000 का द्वितीय प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शासनादेश दिनांक:-12 मार्च, 2001 तथा दिनांक:-22 अक्टूबर, 2001 में समयमान वेतनमान के विषय में दी गई अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी। उपर्युक्त शासनादेशों के संबंधित प्रस्तर केवल इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या:1123(1)/वित्त अनुभाग-3/2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महामहिम श्री राज्यपाल, के सचिव, उत्तरांचल।
2. उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ माजरा, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी०एन० सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रत्नेंद्री,
सचिव, वित्,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रभुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 19 जुलाई, 2004

विषय:- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समयमान वेतनमान के विषय में निर्देश।

महोदय,

समयमान वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-1014/01 वित्त/2001, दिनांक 12 मार्च, 2001, संख्या-345/वि0अनु0 3/2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 एवं संख्या-1049/वि0अनु0 3/2003, दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 द्वारा वेतनमान ₹0 2550-3200 में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उल्लिखित शर्तों के अधीन क्रमशः ₹0 2610-3540 एवं ₹0 2750-4400 का समयमान वेतनमान अनुमन्य किया गया है, लेकिन प्रदेश के कतिपय विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा ₹0 2550-3200 के वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सीधे ₹0 3050-4590 का वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है जो कि नियमों के अनुसार अनुमन्य नहीं है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन-जिन विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेश की उक्तानुसार व्यवस्था के विपरीत अनुमन्यता से अधिक कें वेतनमान, समयमान वेतनमान के रूप में स्वीकृत कर दिये गये हैं, उनके आदेशों का पुनरीक्षण करके देय तिथि को सही समयमान वेतनमान के आदेश निर्गत कर जो भी अधिक धनराशि सम्बन्धित कर्मियों को भुगतान की गई है, उस धनराशि की वसूली सम्बन्धित कर्मी से करके उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भविष्य के लिए किसी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अनुमन्यता से अधिक का वेतनमान इस प्रकार स्वीकृत करने से यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है और यह तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को ही इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के प्रकरणों को शासन के संज्ञान में लायें। त्रुटिपूर्ण वेतनमान अनुमन्य होने पर उस कर्मी

के गलत वेतनमान के आधार पर अधिक धनराशि के कोषागार से आहरित होने पर वह भी उत्तरदायी माना जायेगा।

3. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय

राधा रत्नांजलि
सचिव, वित्त।

संख्या 415-XXVII(3) / 2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार वित्त एवं सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून को 500 प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि वे इस सम्बन्धित कोषागारों के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को वितरण करने का कष्ट करें।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 1000 प्रतियां तत्काल मुद्रित कर वित्त अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, एनोआईसी०, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

टी०एन० सिंह
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त अनु-३

देहरादून: दिनांक ०७ फ़रवरी 2005

विषय:- वेतन समिति(1997-99) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वेतनमान-२-५६०/दस-४५(एम)/९९, दिनांक: ०२ दिसम्बर, २००० के साथ पठित वित्त (सामान्य) अनुभाग के शासनादेश संख्या-१०१४/०१ वित्त/२००१ दिनांक: १२ मार्च, २००१ के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या ८४१/वित्त अनु-३/२००२ दिनांक ३ मार्च, २००३, के साथ पठित उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक: १२ मार्च, २००१ के संलग्नक के प्रस्तर-५ को निम्नानुसार प्रतिरक्षापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

“ऐसे पदधारक जिनके पद का दिनांक: १.१.१९९६ से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रु० ८०००-१३५०० या इससे अधिक है के लिए समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवरथा (जिसे दिनांक: १-१-९६ से स्थगित कर दिया गया था) पुनरीक्षित वेतनमानों में दिनांक: ३१ दिसम्बर, २००५ तक लागू रहेगी।”

२. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक: १२ मार्च, २००१ एवं दिनांक: ३ मार्च, २००३ केवल उक्त रीमा तक संशोधित समझा जाय।

३. उक्त के साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक विभाग द्वारा अपने पदों के ढाँचे में रु० ८०००-१३५०० तथा इससे उच्च वेतनमान के पदों का केन्द्रीकृत ढाँचा इस प्रकार बनाकर उच्च वेतनमानों में पद रखकर सेवा नियमावली में तदनुसार ही व्यवरथा करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार शनैः शनैः बाद में उक्त रत्तर तथा इससे उच्च पदधारकों को सेवा नियमों से ही उक्त लाभ दिया जा सके हैं और समयमान वेतनमान की व्यवस्था शनैः शनैः समाप्त की जा सके।

भवदीय

(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त

संख्या २।० XXVII(3) कार्य / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) मा० राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल ।

(2)रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,नैनीताल ।

(3)निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल,23 लक्ष्मीरोड उत्तरांचल,देहरादून

(4)समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।

(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

(6)इरला चैक अनुभाग/इरला चैक(वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)उत्तरांचल ।

(7)महालेखाकार, ओबेराय भवन, माजरा, देहरादून,उत्तरांचल ।

(8)निदेशक,एन०आई०सी०,देहरादून ।

(9)गाई फाईल ।

आज्ञा से


(टी०एन०सिंह)

अपर सचिव

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक : 23 अगस्त, 2005

विषय— समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या—वे०आ०-१-१६६/दस-१२(एम)/९५, दिनांक ८ मार्च, १९९५ के साथ पठित शासनादेश संख्या— वे०आ०-१-८४/दस-१२(एम)/९५, दिनांक ५ फरवरी, १९९७ तथा इस अनुभाग के शासनादेश संख्या— १०१४/०१वित्त/२००१ दिनांक १२ मार्च, २००१ के साथ पठित शासनादेश संख्या— ६०११/वित्त स० शा०/२००१ दिनांक २२ जून, २००१ संख्या ३४५/वि०अनु०-३/२००१ दिनांक २२ अक्टूबर, २००१ एवं वं संख्या ४१५xxvii(3)/२००४ दिनांक १९ जूलाई, २००४ द्वारा लागू व्यवस्था के विषय में विभिन्न राज्य कर्मचारी संगठनों एवं प्रशासकीय विभागों से प्राप्त संदर्भों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह आया है कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति के बारे में निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित विभिन्न प्राविधानों के अधीन निर्णय लेने में वेतन निधारण/स्वीकर्ता अधिकारियों के स्तर पर कतिपय कठिनाईयाँ महसूस की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता के विषय में प्राप्त विभिन्न सन्दर्भ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी को आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित कर्मचारियों को तदनुसार समयमान वेतनमान की स्वीकृति दी जाय और यदि इस विषय में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव

संख्या ३७/xxvii(3) स ० वे ० / २००५ तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून ।
2. रजिस्ट्रर जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल ।
3. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय ।
4. इरला चेक अनुभाग / इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) ।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
6. निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल ।
7. निदेशक, एन०आई०सी० देहरादून ।

आज्ञा से

—१०—

(टी०एन०सिंह)

अपर सचिव

वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जायगा ?

जो उसके पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्च है में पहले से ही वेतन पा रहा है ऐसी दशा में प्रथम प्रोन्नति के पद पर उसका कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा और उसे वही उच्चतर वेतन/वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य रहेगा जो वह अपनी प्रोन्नति के पहले से प्राप्त कर रहा था।

5— शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2001 के संलग्नक के प्रस्तर-1(1) में एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य कराने की व्यवस्था है। सम्बन्धित व्यवस्था में एक पद का आशय क्या है ? क्या दो विभागों में उपलब्ध समान पदनाम तथा वेतनमान वाले पद यथा चपरासी, ड्राइवर तथा टंकक आदि को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु एक पद माना जायेगा? तदनुसार क्या समान पदनाम तथा वेतनमान वाले पदों पर

अलग-अलग विभागों में की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा ? इसी प्रकार क्या एक ही विभाग में भिन्न-भिन्न पदनामों से उपलब्ध समान वेतनमान वाले पदों यथा सहायक लेखाकार/वरिष्ठ लिपिक तथा लेखाकार/कार्यालय अधीक्षक पर की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा ?

शासनादेश के संलग्नक के प्रश्नगत प्रस्तर-1(1) में उल्लिखित वाक्यांश 'एक पद' का आशय किसी एक विभाग के संवर्ग विशेष में स्वीकृत/उपलब्ध ऐसे पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक को उस संवर्ग की सेवा नियमावाली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो। ऐसी स्थिति में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु एक ही पदनाम अथवा समान वेतनमान वाले पद पर दो विभागों में की गई सेवा को गणना में नहीं लिया जायेगा। एक ही विभाग में समान वेतनमान में विभिन्न पदों पर की गई सेवा का जहाँ तक सम्बन्ध है, यदि ऐसे पद एक ही संवर्ग के हैं/आपस में स्थानान्तरणीय हैं/वरिष्ठता सूची एक हो, तो सम्बन्धित पदों पर की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा अन्यथा एक ही विभाग में समान वेतनमान में भिन्न-भिन्न पदों पर की गई सेवा को गणना में नहीं लिया जायेगा।

6. पदोन्नति का पद योग्यता पर आधारित होने पर समयमान वेतनमान की अनुमन्यता कैसे होगी ?

समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नतीय पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी की प्रोन्नति वरिष्ठता-कम-उपयुक्तता के आधार पर की जाती हो। ऐसी स्थिति में जिन पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वरिष्ठता-कम-उपयुक्तता के साथ ही साथ योग्यता/उच्च अहता/मेरिट के आधार पर हो, वे पद समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु पदोन्नतीय पद नहीं माने जायेंगे। ऐसे मामलों में अन्य शर्तों की पूर्ति की दशा में अगला उच्चतर वेतनमान जैसा कि शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2001 के संलग्नक प्रस्तर-4(1) में स्पष्ट किया गया है, देय होगा।

7- समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त वास्तविक पदोन्नति होने पर प्रोन्नति पर जाने से इंकार करने वालों को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता क्या होगी ?

समयमान वेतनमान की व्यवस्था किसी कर्मचारी को सेवा में वृद्धिरोध (stagnation) से बचाने के लिए उसे उसकी सम्पूर्ण सेवावधि में निर्धारित शर्तों के अधीन दो पदोन्नतियों के समतुल्य वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमानों का लाभ अनुमन्य कराने के उद्देश्य से की गई है। अतएव वारस्तविक पदोन्नति होने पर प्रोन्नति के पद पर जाने से इंकार करने वाले कर्मचारी के मामले में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है। पदोन्नति पर जाने से इंकार करने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य लाभों का पात्र नहीं रह जाता, अतएव समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में उसे अनुमन्य कराये गये लाभ पदोन्नति की तिथि से देय नहीं होंगे।

8- सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की स्थितियों में पैतृक विभाग के पद के सन्दर्भ में समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ पैतृक विभाग द्वारा, पद के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा अथवा स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के अधिष्ठान अधिकारी द्वारा ?

9- आशुलिपिक के पद (रु० 4000-6000) हेतु विभाग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध न होने पर वैयक्तिक वेतनमान के रूप में

सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में पैतृक विभाग के पद के सन्दर्भ में समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ का आदेश पदधारक के पैतृक विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

आशुलिपिक संवर्ग में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का निर्धारण विभाग में उपलब्ध पदों/सेवा नियमावली की व्यवस्था अथवा वेतनमान सूची में उपलब्ध अगले वेतनमान

वेतनमान सूची के अनुसार अगला वेतनमान रु0 4500-7000 देय होगा अथवा आशुलिपिक संवर्ग हेतु निर्धारित ढाँचे में उपलब्ध अगले पद का वेतनमान रु0 5000-8000 देय होगा।

10. विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि चतुर्थ श्रेणी के पद वेतनमान कमशः रु0 2550-3200, रु0 2610-3540, रु0 2650-4000 एवं रु0 2750-4400 के लिए 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पर प्रोन्त वेतनमान की क्या व्यवस्था होगी।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि रु0 2550-3200 के वेतनमान में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं है उनके लिए 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पर कमशः रु0 2610-3540 एवं रु0 2750-4400 का, रु0 2610-3540 के वेतनमान में नियुक्त कार्मिकों को 14 एवं 24 वर्ष में कमशः रु0 2750-4400 एवं रु0 3200-4900 का एवं रु0 2750-4400 के वेतनमान में नियुक्त कार्मिकों को 14 वर्ष में रु0 3200-4900 एवं 24 वर्ष में रु0 4000-6000 के वेतनमान का समयमान वेतनमान अनुमन्य होगा। जिन पदों के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध है वहां तदनुसार सेवानियमों के अनुसार समयमान वेतनमान की अनुमन्यता होगी। समयमान वेतनमान की अनुमन्यता की अन्य शर्तें झासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2001 के अनुसार यथावत रहेगी।

आज्ञा से,

—८—

(टी०एन०सिहं)

अपर सचिव

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक : २-३ अगस्त, 2005

विषय— समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1014/01 वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च, 2001 के संलग्नक के प्रस्तर-4(1) तथा शासनादेश संख्या-345/विंशु-03/2001 दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 में स्थिति स्पष्ट की गई है। विभिन्न सेवा संवर्गों के पुनर्गठन, सम्बन्धित पदों की सेवा शर्तों में संशोधन तथा कर्तिपय वेतनमानों के संविलियन/उच्चीकरण के फलस्वरूप समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों तथा कर्मचारी संगठनों द्वारा स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है।

2— इस सम्बन्ध में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक: 12 मार्च, 2001 के संलग्नक के प्रस्तर-4(1) तथा शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर 2001 में दी गई व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संगठनों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है :—

- (1) संवर्गीय पुनर्गठन अथवा सेवा शर्तों में संशोधन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पद की प्रारिष्ठति में परिवर्तन या वेतनमानों के संविलियन/उच्चीकरण से यदि किसी पद के पदोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन ऐसे पद पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान भी तदनुसार ही अनुमन्य होगा।
- (2) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो जिन्हें पूर्व की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें ऐसे परिवर्तन/संशोधन की तिथि से उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। तदनुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन मूल नियम-22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश-4 के अनुसार

निर्धारित किया जायेगा। वेतनमान में उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके बाद अर्ह कार्मिकों को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान परिवर्तित/संशोधित व्यवस्थानुसार देय होगा और ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण शासनादश दिनांक 12 मार्च, 2001 के संलग्नक के प्रस्तर-2(1) की व्यवस्थानुसार होगा।

(3) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो परिवर्तन/संशोधन की तिथि के पूर्व अर्ह कार्मिकों को अनुमन्य उच्चतर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान यथावत् रहेगा किन्तु परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके पश्चात् अर्ह कार्मिकों को परिवर्तित स्थिति के अनुसार निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12मार्च, 2001 तथा 22अक्टूबर, 2001 केवल इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। इन शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या 368xxvii(3)स0वे0 / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल।
4. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
5. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
6. उत्तरांचल शासन के समस्त अनुभाग।
7. इरला चेक अनुभाग/इरला चेक(वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, एन०आई०सी० देहरादून।

आज्ञा से
—/
(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त (वि०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक 19 जून, 2006

विषय:-समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।
महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के शासनादेश संख्या: 327 / xxvii(3)स0वे0 / 2005 दिनांक: 23 अगस्त, 2005 के संलग्नक के संदर्भ बिन्दु-7 के समक्ष उल्लिखित स्पष्टीकरण में सरकारी सेवकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत अनुमन्य किये गये समयमान वेतनमान के लाभ के पश्चात उनकी संवर्ग में पदोन्नति होने पर तथा उनके द्वारा पदोन्नति पद पर जाने से इंकार करने पर उन्हें पहले से मिल रहे समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं है।

इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जिन प्रकरणों में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी सेवकों को समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया जा चुका हो, ऐसे कर्मियों द्वारा पदोन्नति पद पर जाने से इंकार करने पर भी उन्हें पूर्व में अनुमन्य किया जा चुका समयमान वेतनमान का लाभ वापस नहीं लिया जायेगा परन्तु प्रोन्नति इंकार करने के बाद उस पद पर कोई समयमान वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा।

संदर्भ बिन्दु संख्या-7 के समक्ष इंगित स्पष्टीकरण को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या : 94(1) / xxvii(7)स0वे0 / 2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
3. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय।
4. इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।

आज्ञा से

टी०एन० सिंह,
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।

वित्त(व०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनॉक २० नवम्बर २००६

विषय:- वेतन समिति(1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।
महोदय,

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 10,500/- तक है, के लिए समयमान वेतनमान की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1014/01 वित्त/2001, दिनॉक 12 मार्च, 2001 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या- व०आ०-२-२६०/दस-४५(एम)-९९, दिनॉक 2 दिसम्बर, 2000 एवं इस क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों के माध्यम से की गयी है। उक्त शासनादेश में रु० 7450-11,500 एवं रु० 7500-12,000 के वेतनमान वाले पदों के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य पाल महोदय ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 13,500/- से कम है, के लिए शासनादेश संख्या 1014/01 वित्त/2001 एवं इस क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में जहाँ कहीं भी वेतनमान का अधिकतम रु० 10,500/- तक अंकित है, को वेतनमान का अधिकतम रु० 13,500/- से कम प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. शासनादेश संख्या-1014/01 वित्त/2001, दिनॉक 12 मार्च, 2001 एवं इस क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश उपर्युक्त सीमा तक राशोधित समझे जाएंगे।

भवदीय,
(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त।

संख्या 235(1)/XXVII(7)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
3. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तरांचल देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तरांचल देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
10. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तरांचल, देहरादून।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-८

देहरादून: दिनांक: २४ नवम्बर 2006

विषय:- वर्ग 'घ' के कर्मचारियों को 14 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य प्रथम प्रोन्त वेतनमान रु० 2610-60-3150-65-3540 के अधिकतम पर पहुँचने पर 16 वर्ष के पूर्ण होने एवं 23वें वर्ष में कमशः एक-एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि की अनुमन्यता।

महोदय,

वर्ग 'घ' के रु० 2550-55-2660-60-3200 के वेतनमान के कर्मचारियों को वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने की स्थिति में तीन अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि वृद्धिरोध वेतन के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि 14 वर्ष पर वैयक्तिक रूप से रु० 2610-60-3150-65-3540 का वेतनमान उपलब्ध कराये जाने पर उक्त वेतनमान का अधिकतम रु० 3540 का मूल वेतन 16 वर्ष पूर्ण होने पर अनुमन्य हो जाता है जिसमें लम्बे समय तक उक्त वेतनमान के अधिकतम पर वृद्धिरोध बना रहता है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय वेतनमान रु० 2550-55-2660-60-3200 में नियुक्त वर्ग 'घ' के कर्मचारियों के लिए प्रथम प्रोन्त वेतनमान अर्थात् रु० 2610-3540 के अधिकतम पर कार्यरत होने पर वृद्धिरोध के कारण मूल वेतन की भाँति समयमान वेतनमान में भी 16 वर्ष पूर्ण होने अर्थात् अधिकतम रु० 3540 के सोपान प्राप्त होने पर एवं 23वें वर्ष में कमशः एक-एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दियै जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त व्यवस्था वेतनमान रु० 2550-55-2660-60-3200 में नियुक्त वर्ग 'घ' के कर्मचारियों के समयमान वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने पर वृद्धिरोध समाप्त करने हेतु किया गया है यदि कालान्तर में उक्त संवर्ग को कोई नया समयमान वेतनमान अनुमन्य कराया जाता है जहाँ इस प्रकार का वृद्धिरोध समाप्त हो जाये तब यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त।

या २६७ (१) / XXVII(7) / 2006 तददिनांक

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

2. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
14. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तरांचल देहरादून।
15. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल देहरादून।
16. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल,
17. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
18. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तरांचल देहरादून।
20. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
22. उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
23. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तरांचल, देहरादून।
24. इरला चैक अनुभाग उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनोंक 29 मई 2007,

विषय—राज्य सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के निजी सचिव श्रेणी-1 के अधिकारियों को नॉन-फंक्शनल आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ पूर्ववर्ती रु0 प्र० राज्य में गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है—

(i) राज्य सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों में निजी सचिव संवर्ग के रु0 6500-10500 के वेतनमान के पदों पर 4 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर रु0 8000-13500 का नॉन-फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य कराया जाय।

(ii) निजी सचिव श्रेणी- 1 के पदों पर रु0 8,000 –13,500 का नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य होने पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ दिये जाने हेतु वही व्यवस्था अपनायी जाये जैसी अनुभाग अधिकारी संवर्ग के संबंध में अपनायी जाय।

2. उपर्युक्त पदों के वर्तमान पदधारकों का नॉन फंक्शनल वेतनमानों में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 22 ए (1) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यावाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूडी)
सचिव।

संख्या: ७२ / XXVII(7) / 2007 तददिनांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. रजिस्टर, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. इरला चैक अनुभाग / इरला चैक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एनोआईसी० देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(टी०एन०सि०)

अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून:दिनांक: ३। जूलाई, २००७

विषय:- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में आ रही विसंगति के निराकरण के संबंध में वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुति का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का अनदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कम में प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रोन्नति के पद के वेतनमान के उच्चीकरण के विषय में निम्नवत् व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) जहाँ ₹० 2550-3200 के वेतनमान वाले पदों हेतु प्रोन्नति का पद ₹० 2610-3540 के वेतनमान में है, वहाँ ऐसे प्रोन्नति के पदों का वेतनमान ₹० 2650-4000 के स्तर पर उच्चीकृत कर दिया जाय।

(ख) जहाँ ₹० 2610-3540 में सीधी भर्ती के पदों हेतु प्रोन्नति का पद ₹० 2650-4000 में हो, वहाँ प्रोन्नति के पदों का वेतनमान ₹० 2750-4400 के स्तर पर उच्चीकृत कर दिया जाय।

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहभागिता से निर्गत कर संबंधित सेवानियमों में भी संशोधन की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. उपर्युक्त पदों के वर्तमान पदधारकों का उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 के उप नियम(दो)(ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या : १४९ (१) / XXVII(7) / 2007 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, माठ राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

१. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
२. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादूनः दिनांक: ३ जुलाई, 2007

विषय:- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में आ रही विसंगति के निराकरण के संबंध में वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कम में प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रु० 2550-3200 के वेतनमान में कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं है, उनको समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रु० 2650-4000 का वेतनमान प्रथम प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के रूप में तथा 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रु० 3050-4590 का वेतनमान द्वितीय प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य किया जाय।

२. शासनादेश संख्या: १०१४/०१ वित्त/२००१, दिनांक १२ मार्च, २००१ के संलग्नक का प्रस्तर-४(१), संख्या: ३४५ / वि०अनु०-३ / २००१, दिनांक २२ अक्टूबर, २००१, संख्या: १०४९ / वि०अनु०-३ / २००३ दिनांक १६ अक्टूबर, २००३, एवं संख्या: ३२७ / xxvii(3) स०वे० / २००५, दिनांक २३ अगस्त, २००५ की व्यक्तियों केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझी जायें। उक्त शासनादेश को निर्गत किये जाने की तिथि से शासनादेश संख्या: २६७ / xxvii(7) / २००६, दिनांक २८ नवम्बर, २००६ की व्यक्तियों निरस्त समझी जायेंगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या : १९० (१) / XXVII(7) / 2007 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. रथानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आईटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

८१२
(टी०एन०सिंह)

अपर सचिव।

१०

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0—सा0नि0)अनु0—7

देहरादून: दिनांक 22 अगस्त, 2007

विषय:-प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान अनुमत्य हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड-1 के पदों पर समायोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य के वाहन चालकों के पदोन्नति वेतनमान के संशोधन के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

‘ऐसे वाहन चालक जिन्हें द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में रु0 4500—7000 का वेतनमान पाये हुए 3 वर्ष अथवा इससे अधिक का समय हो चुका है, उन्हें वाहन चालक ग्रेड-1 के उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाये एवं वित्त(वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या: 108 / xxvii(7) / 2006 दिनांक 3 जुलाई, 2006 की व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।’

2. उपर्युक्त पदों के वेतनमान पदधारकों को उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 के उप नियम(दो)(ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या : (1) / xxvii(7) / 2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4— सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5— रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
- 6— स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 7— पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, लखनऊ।
- 8— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10— उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 11— इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 12— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

टी०एन० सिंह
अपर सचिव, वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,

सचिवालय प्रशासन विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7

देहरादून : दिनांक 22 अगस्त, 2007

विषय : उत्तराखण्ड सचिवालय के सभीक्षा अधिकारी एवं अपर निजी सचिव के पदों के वेतनमानों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय के सभीक्षा अधिकारी एवं अपर निजी सचिव के पदों के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

“उत्तराखण्ड सचिवालय के सभीक्षा अधिकारियों एवं अपर निजी सचिव के पदों पर रु0 6500—10500 का उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 26 जून, 2007 से अनुमन्य कर दिया जाय”

2. उपर्युक्त पदों के वेतनमान पदधारकों को उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन निधारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—2 भाग—2 से 4 के मूल नियम—22 के उप नियम (दो)(ग) की व्यवस्था के अनुसार दिया जायेगा।
3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सददीय,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव
गृह (कारागार) विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनु०—८

देहरादूनः दिनांक 20 सितम्बर, 2007

विषयः—फार्मेसिस्ट संवर्ग के चीफ फार्मेसिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के पद के वेतनमान संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा चीफ फार्मेसिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के पद के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में निम्नवत् संस्तुति की गई हैः—

“जिन विभागों में पूर्व से फार्मेसिस्ट संवर्ग में चीफ फार्मेसिस्ट तथा प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के पद सृजित हैं तथा उन्हें पूर्व में चीफ फार्मेसिस्ट को दिये जाने वाले वेतनमान ₹० 5000—8000 से ₹० 5500—9000 तथा प्रभारी अधिकारी फार्मेसी जिसे ₹० 5500—9000 को वेतनमान दिया जाना था उसे ₹० 6500—10500 को संशोधित करने की संस्तुति की जाती है”

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

राधा रत्नडी
सचिव, वित्त।

संख्या: २८६ / xxvii(7) तृ०६०, ग.म.वि.नि.वा.चा. / 2007

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून:दिनॉक: ३० सितम्बर, 2007

विषय:- कुमॉयू मण्डल विकास निगम के वाहन चालकों को वेतनमान संशोधित कराया जाना।

मझोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा कुमॉयू मण्डल विकास निगम में कार्यरत वाहन चालकों को पंचम वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

“चूंकि कुमॉयू मण्डल विकास निगम में पूर्व से चालक संवर्ग में दो वेतनमान उपलब्ध थे, अतः जिन्हें उच्च वेतनमान प्राप्त था ऐसे वाहन चालकों को जब तक कि वे सेवानिवृत्त न हो जायें उन्हें ०१-०१-१९९६ से रु० ११७५-१६२५ या समतुल्य वेतनमान जो दिनांक ०१-०१-१९९६ के बाद दिया गया हो, रु० ४०००-६००० में उच्चीकृत कर दिया जाय, परन्तु भविष्य में जो भी नियुक्तियां की जायें वे रु० ३०५०-४५९० में ही की जायें और उच्च वेतनमान हेतु अलग से नीति निर्धारण निगमों हेतु न किया जाय।”

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आशयक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आशयक कार्बवाही कराने का काट करें।

भवदीया,
(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
सहकारिता विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे०आ०—सा०नि०) अनु०—७

देहरादून : दिनांक : 05 अक्टूबर, 2007

विषय : सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक वर्ग—१/अपर जिला सहकारी अधिकारी के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक वर्ग—१/अपर जिला सहकारी अधिकारी के संवर्ग के पदों के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक वर्ग—एक/अपर जिला सहकारी अधिकारी के वर्तमान वेतनमान ₹० 5000—150—8000 को दिनांक 27 जुलाई, 2006 से उच्चीकृत वेतनमान ₹० 6500—200—10500 अनुमन्य किया जाय।

2—कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश कित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

मदीय,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या ३०२/xxvii(7)छ०व० वेट०फा०ची०वेट०फा० / 2007

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादूनःदिनांक: ५ अक्टूबर, 2007


विषय:- वेटनरी फार्मासिस्टों एवं चीफ वेटनरी फार्मासिस्टों के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01-06-2006 को उत्तराखण्ड राज्य में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में ऐसे अप्रशिक्षित और डिप्लोमा न प्राप्त वेटनरी फार्मासिस्ट के वेतनमान रु० 3200-4900 के स्थान पर रु० 4500-7000, का वेतनमान शासनादेश संख्या:723/XV-1/2(195) / 2003 दिनांक:03 नवम्बर,2006 के द्वारा इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य किये गये थे कि जब तक वेटनरी फार्मासिस्ट गहन प्रशिक्षण पूरा न कर लें, वेतनमान लागू नहीं होगा। प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा उक्त प्रतिबन्ध को उचित नहीं पाया गया और पशुपालन विभाग के वेटनरी फार्मासिस्ट एक चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट के वेतनमान संशोधन के संबंध में की गई संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

सभी अप्रशिक्षित और डिप्लोमा न प्राप्त वेटनरी फार्मासिस्ट द्वारा 31 जनवरी,2007 तक अवश्य प्रशिक्षण पूरा किया जाय और दिनांक 3 नवम्बर,2006 से सभी वेटनरी फार्मासिस्टों को रु० 3200-85-4900 के स्थान पर रु० 4500-125-7000 का वेतनमान उपलब्ध करा दिया जाय तथा उक्त तिथि से ही चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट का वेतनमान रु० 5000-8000 एवं दिनांक 01 फरवरी,2007 से चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट को पुनः उच्चीकृत वेतनमान रु० 5500-175-9000 दिया जाय।

3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7

देहरादून : दिनांक : 05 अक्टूबर, 2007

विषय : नगर निगम के फार्मासिस्ट के पदों के वेतनमान संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा नगर निगम के फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

नियमित चिकित्सालय न होने के कारण नगर निगम/निकाय के इस प्रकार के पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय तथा इस पद पर भविष्य में कोई नियुक्ति न की जाय, जो व्यक्ति कार्यरत है यदि निर्धारित शैक्षिक, तकनीकी अर्हता, पंजीकरण आदि राजकीय विभाग के समकक्ष रखते हो या प्रशिक्षित कर ऐसा किया जाना सम्भव हो, तब इन्हें संशोधित वेतनमान दिया जाना उचित होगा।

2-कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहभाति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विन्त (वे0आ0—सा0नि0) अनु०-

देहरादून दिनांक ५ अन्त्युक्त 2007

विषय— अभियोजन शाखा में विद्यमान विभिन्न श्रेणी के पदों के वेतनमानों के संशोधन के संबंध में।

भौदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति संगिति के द्वारा उह विभाग के अधीन अभियोजन संवर्ग के पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में की गई संरक्षितियों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया है—

(क) अभियोजन संवर्ग के निम्न पदों के वेतनमान दिनांक 1-4-2001 से निम्नानुसार उच्चीकृत कर दिये जायें—

क्रमांक	पदनाम	संशोधित / उच्चीकृत वेतनमान
	सहायक अभियोजन अधिकारी	रु06500—10500
	अभियोजन अधिकारी	रु08000—13500
	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी(लावारण वेतनमान)	रु010000—15200
	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी(ज्येष्ठ वेतनमान / उप निदेशक अभियोजन)	रु012000—16500
	संयुक्त निदेशक अभियोजन	रु014300—18300

(ख) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी(ज्येष्ठ वेतनमान / उप निदेशक अभियोजन) के पदों को संयुक्त निदेशक अभियोजन पदनामित कर दिया जाय और नईमान में उपलब्ध संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं संयुक्त निदेशक(विधि) के पदों के क्रमशः अपर निदेशक(अभियोजन) एवं अपर निदेशक(विधि) के रूप में पद नामित किये जाये।

कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की राहगति से निर्णीत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का काष्ट करें।

भवदीय,

लल
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
युवा कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक: १५ अक्टूबर, २००७


विषय:— युवा कल्याण विभाग के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, व्यायाम प्रशिक्षक एवं जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पदों के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा युवा कल्याण विभाग के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, व्यायाम प्रशिक्षक एवं जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में निम्नवत् संस्तुति की है:-

पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रुपया)	संशोधित वेतनमान (रुपया)
क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	3200-4900	4500-7000
व्यायाम प्रशिक्षक	4000-6000	4500-7000
जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	5000-8000	6500-10500

3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की राहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

 (आलोक कुमार जैन)
 प्रमुख सचिव, वित्त।

८/८

 १५.१०.२००७

 १५.१०.०७

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

संवा में

सचिव,
खेल विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०—सा०नि०)अनु०—७

देहरादून:दिनांक: १५ अक्टूबर, 2007

विषय:- स्पोर्ट्स कालेज देहरादून में पी०टी०आई०/गाउण्ड इन्चार्ज के पद का वेतनमान संशोधन
के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों
के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण /विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति
समिति के द्वारा स्पोर्ट्स कालेज देहरादून में पी०टी०आई०/गाउण्ड इन्चार्ज के पद के वेतनमान
संशोधन के संबंध में निम्नवत् संस्तुति की है:-

पी०टी०आई० को फिलहाल दिनांक १-१-९६ से रु० 5000-८००० का
संशोधित वेतनमान दे दिया जाय और यदि खेल विभाग इस आशय का
साक्ष्य प्रस्तुत करें कि पूर्व से शिक्षा विभाग की समतुल्यता प्राप्त है तब
सरकार अपने स्तर से समता समिति के सिद्धान्त पर वेतनमान संशोधन
पर विचार कर सकती है।

3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से
निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव/वित्त।

८।

१०/१०/०७

१०/१०/०७

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०—सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक: १५ अक्टूबर, २००७

विषय:- संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद का वेतनमान संशोधन के संबंध में।


महोदय,


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद का वेतनमान संशोधन के संबंध में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य से ही खण्ड विकास अधिकारी तथा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के मध्य स्पष्ट कार्य विभाजन न होने के कारण बाद में उत्तराखण्ड राज्य में संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद को मृत संवर्ग घोषित किय गया है। समिति द्वारा उक्त पद को मृत संवर्ग घोषित करना उचित नहीं पाया गया और यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्लाक स्तर पर अनेकों विकास योजनायें रांचालित हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी के साथ संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी आवश्यक है, जिसके कार्यों का विरत्त आदेश जारी करना विभाग की अनिवार्यता है। इससे कार्मिकों को प्रोन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं तथा पद समाप्त करने पर संगठनात्मक ढाँचा प्रभावित होगा साथ ही साथ अन्य विभागों द्वारा इसे दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत किया जायेगा। अतः उक्त पद के संबंध में समिति के द्वारा निम्नवत् संस्तुति की है:-


संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद की निरन्तरता मानते हुए उत्तर प्रदेश में
लागू तिथि से इस पद का वेतनमान रु० ६५००-१०५०० करने की संस्तुति करती
है।

3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहभाति से
निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव/वित्त।

6/ 
9.10.2007


9.10.07

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(य०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक: १७ अक्टूबर, 2007


विषय:— कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-१ के वेतनमानों के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा कृषि विभाग के वर्ग-१,२ एवं ३ के पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में निम्नवत् संस्तुति की है:—

- (i) कृषि विभाग के वर्ग-१ के विकास शाखा के पदों पर सीधी हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता स्नातक उपाधि के स्थान पर संबंधित क्षेत्र में स्नाकोत्तर उपाधि निर्धारित करते हुए वर्ग-१ के सभी शाखाओं के पदों (सांख्यकीय एवं अभियंत्रण शाखाओं के पदों को छोड़ते हुए) का वेतनमान रु० ६५००—१०५०० शासनादेश निर्गत होने की तिथि से संशोधित कर दिया गया है तदनुसार कृषि विभाग द्वारा तीन माह के भीतर संशोधन कर लिया जायेगा।
- (ii) विभाग के वर्ग-२ के पदों के पदनाम, भर्ती की विधि तथा सर्वार्थीय ढाँचे में भिन्नता के कारण इनकी समकक्षता भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के जूनियर मृदा सर्वेयर से स्थापित नहीं होती है। अतः वेतन समिति की संस्तुति पर अनुमन्य कराये गये सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान रु० ४५००—७००० में किसी संशोधन का औचित्य नहीं है।
- (iii) समता समिति की संस्तुतियों पर विचार हेतु गुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कृषि विभाग के वर्ग-३ के पदों के वेतनमान, भारत सरकार की समकक्षता के अधार पर पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त उक्त समितियों द्वारा प्रशासकीय विभाग के इस प्रस्ताव को कि वर्ग-३ के सभी पदों को वर्ग-२ के पदों के साथ सविलीन कर दिया जाय, भी स्वीकार नहीं किया गया था। यद्यपि विभाग के वर्ग-३ के पदों के पदनाम, भर्ती की विधि, कार्यक्षेत्र, कार्य की प्रकृति तथा सर्वार्थीय ढाँचे में भिन्नता आदि के कारण इनकी समकक्षता भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के टेक्निकल असिस्टेंट, फाइल्ड असिस्टेंट एवं रसायन सहायक के पदों से स्थापित नहीं होती। अतः इन पदों के वेतनमान में संशोधन का कोई आधार नहीं है।
3. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करोने हेतु आवश्यक कार्यालयी करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव/वित्त।

प्रेषक,

राधा रत्नौड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा' में,
सचिव,
चिकित्सा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वै0आ0—सा0नि0)अनु0—7

उम्मीद 331(2)
संख्या: / xxvii(7)आठवीं बैठकीवि0 / 2007

देहरादून:दिनांक 24 दिसम्बर, 2007

विषय:— चिकित्सा विभाग के खाद्य निरीक्षक पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर खाद्य निरीक्षकों के प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में केन्द्र से समकक्षता के सिद्धान्त पर कि समता समिति द्वारा इन पदों पर पद से पद की समानता है।। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिवेदन निस्तारित करते हुए दिनांक 1-4-2001 से खाद्य निरीक्षक का वेतनमान रु0 4500-7000 के रथान पर रु0 5000-8000 तथा मुख्य खाद्य निरीक्षक का वेतनमान रु0 5500-9000 किया गया है, चूंकि उत्तराखण्ड में भी केन्द्र से पद से पद की समता के प्रकरण में वेतन संशोधन की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। अतः समिति द्वारा दिनांक 1-4-2001 से उपरोक्तानुसार वेतनमान संशोधन की संस्तुति की गई है।।

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(राधा रत्नौड़ी)
सचिव, वित्त।

331(4)

संख्या: /xxvii(7)आठवीं बै०सूफ्हि०/ 2007

प्रेषक,

राधा रत्नौड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
सूचना विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(व०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून:दिनांक ४ दिसम्बर, 2007

विषय:- सूचना विभाग के लेखा संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश से न तो कोई वरिष्ठ लेखाकार पदधारक उत्तराखण्ड में आया है और नहीं अंतिम आवटन के पूर्व उत्तराखण्ड के किसी लेखाकार से कनिष्ठ को उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का वेतनमान अनुमत्य है। अतः उक्त पद के संबंध में समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की है:-

“सूचना विभाग में भी उत्तराखण्ड में लागू लेखा संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान यथावत् लागू किया जाय। वरिष्ठ लेखाकार का कोई औचित्य नहीं है।”

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(राधा रत्नौड़ी)
सचिव, वित्त।

प्रेषक,

राधा रत्नौड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

सचिव,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वै0आ0--सा0नि0)अनु0-7

देहरादून:दिनांक: १० जनवरी, 2008

विषय:- पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारी पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्य कि सेवा नियमावली में फार्मेसिस्ट से पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया है जिसके कारण यह विसंगति उत्पन्न हो गयी है कि फार्मेसिस्ट का वेतनमान रु0 4500-7000 कर दिया गया है जबकि पशुधन प्रसार अधिकारी जो प्रोन्नति का पद है वह रु0 4000-6000 में ही है। पूर्व में फार्मेसिस्ट का पद रु0 3200-4900 में ही था जिसे अब संशोधित कर रु0 4500-7000 कर दिया गया है विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पशुधन प्रसार अधिकारियों की बिना वेतन के दो वर्ष का प्रशिक्षण तथा दिनांक 31-1-2006 के शासनादेश द्वारा विस्तृत कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किया गया है अतः इस पद का वेतनमान फार्मेसिस्ट से कम रखना या जो फार्मेसिस्ट पशुधन प्रसार अधिकारी में प्रोन्नत हो गये हैं उन्हें मूल पद से कम वेतनमान दिया जाना उचित नहीं है। अतः सभी तथ्यों पर विचारोपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार संस्तुति की है:-

(क)फार्मेसिस्ट संवर्ग से पशुधन प्रसार अधिकारी में प्रोन्नति का आधार औचित्यपूर्ण नहीं है अतः दोनों संवर्गों को अलग रखकर तदनुसार स्वतंत्र नियमावली बनायी जाय तथा फार्मेसिस्ट का पशुधन प्रसार अधिकारी में प्रोन्नति वो प्रक्रिया समाप्त करने की कार्यवाही की जाय।

(ख)पशुधन प्रसार अधिकारी की योग्यता जीव विज्ञान/कृषि/ पशुपालन किसी एक विषय में स्नातक के साथ दो वर्ष का पूर्व से निर्धारित कोर्स यथावत रखा जाय।

(ग)पशुधन प्रसार अधिकारी का तत्काल प्रभाव से वेतनमान उच्चीकृत कर रु0 4500-7000 औचित्यपूर्ण है।

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रत्नौड़ी)
सचिव, वित्त।

प्रेषक,

टी०एन०सिंह,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
संस्थागत वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वै०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक: १० जनवरी, 2008

विषय:- स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कतिपय पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की तृतीय बैठक दिनांक ३-८-२००७ में विभाग के कतिपय पदों के वेतनमान उच्चीकरण विषय पर विचार किया गया था तथा विभाग से यह अपेक्षा की गयी थी कि अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट किया जाय कि उ०प्र० में यह निर्णय वेतन समिति के कम में वेतनमान संशोधन किये गये या विभागीय पुनर्गठन के आधार पर।

अतः विभाग द्वारा पुनः समिति के सम्मुख प्रस्तुत तथ्य कि निर्णय वेतन समिति(1997-99) के कम में सुख्य सचिव समिति के द्वारा किया गया था। अतः सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा वेतनमान में निम्नमानुसार संशोधन किये जाने की संस्तुति की गयी है:-

क०स०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान रूपये	संशोधित वेतनमान रूपये
1.	अपर सहानिरीक्षक निबंधन विभागीय	12000-16500	14300-18300
2.	उप सहानिरीक्षक निबंधन	10000-15200	12000-16500
3.	सहायक सहानिरीक्षक निबंधन	8000-13500	10000-15200
4.	उप निबंधक	6500-10500	ग्रेड-II जो उपनिबंधक के कुल सूजित पदों का 30प्रतिशत होगा तथा प्रोन्नति द्वारा ग्रेड II से रु 8000-13500 किया जाय, उप निबंधक ग्रेड-II प्रारम्भिक वेतनमान रु 6500-10500 यथावत्

			<p>रखा जाय । ग्रेड— की तैनाती जो कुल उपनिबंधक के पद का 30 प्रतिशत होगा, आवश्यकता एवं प्रशासनिक आधार पर विभागाध्यक्ष के निर्णयों के यथा स्थान नियुक्ति किया जा सकता है ।</p>
--	--	--	---

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से
निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदी

(टी०ए०८)
आपर. सा.

प्रधानक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेबा में,

सचिव,
खेल विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक: ३ फरवरी, 2008

विषय:-स्पोर्ट्स कालेज देहरादून में पी०टी०आई०/ग्राउण्ड इन्वार्ज के पद का वेतनमान संशोधन के संबंध में।

प्रदौदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की छठी बैठक दिनांक: 11-9-2007 में स्पोर्ट्स कालेज देहरादून में पी.टी.आई./ग्राउण्ड इन्वार्ज पद के दिनांक १-१-१९९६ से वेतनमान संशोधन के संबंध में विचार किया गया था। तथा विभाग से यह अपेक्षा की गयी थी कि विभाग इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करें कि पूर्व से शिक्षा विभाग की समतुल्यता प्राप्त है तब उस पद का वेतनमान तदनुसार संशोधित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

अतः विभाग द्वारा पुनः समिति के सम्मुख प्रस्तुत तथ्य कि पूर्ववर्ती राज्य उ०प्र० के अन्य कालेज वे इस पद नाम का कोई पद नहीं था। छठे प्रतिवदेन में उक्त पद के वेतनमान दिनांक १-१-१९९६ से रु० १४००-२६०० के समतुल्य संशोधित वेतनमान रु० ५०००-८००० अनुमन्य किया जा चुका है। किन्तु राज्य के शिक्षण संस्थाओं में केन्द्रीय विद्यालयों के पी.टी.आई./ग्राउण्ड इन्वार्ज को अनुमन्य वेतनमान रु० १४००-२६०० का संशोधित वेतनमान रु० ५५००-९००० अनुमन्य किया गया है। इस पद पर तथन हेतु जो अहताये केन्द्रीय विद्यालयों या राज्य सरकार के विद्यालयों में है, उसी भौति एन.आई.एस. डिस्ट्रीग्री इन फिजिकल एजुकेशन की वरियता के साथ-साथ रनातक, डी.पी.एड तथा पी.टी.आई. का अनुभव रखा गया है। अतः सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निम्नमानुसार संस्तुति की गयी है:-


“यदि उपरोक्त अहता के अधीन स्थापित प्रक्रिया के द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी

की जाती हो तब पी.टी.आई./ग्राउण्ड इन्वार्ज का वेतनमान रु० ५५००-९०००

पर शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकता है”

१. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति रोक निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
✓ न्याय विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून: दिनांक: 27 मार्च, 2008

विषय:- मा0 उच्च न्यायालय के उप निबंधक के वेतनमान संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि पूर्ववर्ती उ0प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से ही कतिपय कर्मचारी मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में आये हैं फलतः वेतन समिति(1997-99) के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो वेतनमान लागू किये गये हैं वही वेतनमान मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में भी लागू किये जाने उचित होंगे। चूंकि उ0प्र0 के शारानादेश रांख्या-वे0आ0- 2- 186 / दस-2007-44/2001 टी0सी0 दिनांक 01 फरवरी 2007 एवं अधि-ए-3435 / सात-न्याय -1 - 2005-69/90 दिनांक 18-10-2005 के द्वारा गा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद हेतु उपनिबन्धक का वेतनमान रु0 10650-15850 को गुनीकृत कर रु0 12000-16500 किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ही कतिपय अधिकारी/कर्मचारी उत्तराखण्ड में आये हैं अतः सेवा अलाभकारी न हो तथा इस संगठन में उ0प्र0 रो भिन्न कोई रांगनगामक ढाँगा नहीं है अतः समिति द्वारा निम्नवत् संरक्षित की गई है:-

उपनिबन्धक के वेतनमान रु0 10650-15850 को उ0प्र0 में लागू तिथि 18-10-2005 से उत्तराखण्ड में भी वेतनमान उच्चीकृत रु0 12000-16500 किया जाना उचित पाया गया।

समिति द्वारा विभागीय अभिलेखों के अवलोकन करने पर यह तथ्य भी प्रकाश मै आया कि मा0 उच्च न्यायालय में संयुक्त निबंधक के पद पर, न्यायिक सेवा के अधिकारी तथा उपनिबन्धक के पद से पदोन्नति होने पर नियुक्त होते हैं। जब न्यायिक सेवा के अधिकारी संयुक्त निदेशक पद पर नियुक्त होते हैं तब अपने मौलिक पद के राग्रहण वेतनमान आहरित करेंगे परन्तु जो संयुक्त निबंधक, उपनिबन्धक पद जिसका कि पूर्ति में वेतनमान 10650-15850 था, तथा रु0 12000-16500 किये जाने की संरक्षित की जा रही है, से प्रोन्नति होने वाले संयुक्त निबंधक के पदाधिकारियों को रु0 14300-18300 का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। इस प्रकरण में विभाग द्वारा समिति के रांगनाम में लाया गया है कि शासनादेश संख्या 234/न्याय-अनु0/2001 दिनांक 2-5-2001 के द्वारा संयुक्त निबन्धक के 3 पदों हेतु रु0 16400-20000 का वेतन निर्धारित किया गया है।

समिति ने समस्त प्रकरण का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राज्य स्थापना के बाद जो वेतनमान मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में थे उन्हीं वेतनमानों को मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में भी लागू किये जाने की प्रक्रिया अपनायी गयी है। चूंकि संयुक्त निबंधक के पद का जो न्यायिक अधिकारी रु० 16400-20000 में था उसको आधार बनाकर शासनादेश निर्गत किया गया था।

वार्ताविक स्थिति यह थी कि संयुक्त निबंधक जो उपनिबंधक से प्रोन्नति पाकर संयुक्त निबंधक बनते थे उन्हें वेतनमान रु० 12000-16500 ही अनुमन्य था। उ०प्र० के शासनादेश सं०अधि-ए-3435 / सात-न्याय-1-2005-69 / 90 दिनांक 18-10-2005 में भी संयुक्त निबंधक के पूर्व वेतनमान रु० 12000-16500 को रु० 14300-18300 में पुनरीक्षित किया गया है।

अतः यदि पूर्ववर्ती राज्य उ०प्र० से लागू वेतनमान जिसमें संयुक्त निबंधक पद पर, न्यायिक सेवा के अधिकारी नियुक्त होते हैं तब उसका वेतनमान अपने संवर्ग के वेतनमान के अनुसार होगा तथा जो उपनिबंधक पद से संयुक्त निबंधक पद पर नियुक्त होते हैं, के वेतनमान भिन्न होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संस्तुति की गई है:-

“न्यायिक सेवा के अधिकारी संयुक्त निबंधक के पद पर अपने मौलिक पद के वेतन के अनुरूप वेतनमान प्राप्त करेंगे जबकि उपनिबंधक पद से संयुक्त निबंधक पद पर पदोन्नति प्राप्त अधिकारी दिनांक 18-10-2005 तक रु० 12000-16500 का वेतनमान अनुमन्य होगा। तथा दिनांक 18-10-2005 से रु० 14300-18300 का वेतनमान अनुमन्य होगा।”

समिति के संज्ञान में यह भी तथ्य लाया गया कि कतिपय प्रकरण में उपनिबंधक पदोन्नति प्राप्त संयुक्त निबंधक का वेतनमान मई 2001 के शासनादेश के क्रम में उच्चतर निर्धारित कर दिया गया है। अतः यदि पूर्व में कोई धनराशि निर्धारित वेतनमान से अधिक आहरित की गई हो तब उसकी वसूली न की जाए एवं निर्धारित अधिक धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाय। भविष्य में वेतन समिति द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही अनुमन्य कराये जायें।

भवदीय,

Mol Jain
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून:दिनांक: २५मार्च, २००८

विषय:- राजस्व विभाग के सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतनमान संशोधन के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति¹ के सम्मुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि वेतन समिति(1997-99) के कम में राजस्व विभाग के सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/रजिस्ट्रार कानूनगो के पद हेतु सुपरवाईजर कानूनगो (परिवर्तित पदनाम राजस्व निरीक्षक) के समान वेतनमान रु० 4500-7000 दिनांक 15-5-2007 से अनुमन्य कराया गया है। अतः उ०प्र० पुर्नगठन अधिनियम-२००० की धारा-74 को दृष्टि में रखते हुए पूर्ववर्ती राज्य उ०प्र० की वेतन समिति के आधार पर लागू वेतनमान उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद अलाभकारी स्थिति न हो, को दृष्टि में रखते हुए सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतनमान संशोधित किया जाना उचित एवं आवश्यक है।

अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को समिति ने उचित पाये जाने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् संस्तुति

"सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतनमान रु० 4500-7000 अनुमन्य किया जाय।"

भवदीय,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव/वित्त।

संख्या IA3/xxvii(7)दसवीं बैठ पंरावरी/2008

प्रेशक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून:दिनांक: २१मार्च, 2008

विषय:- जिला पंचायतों के पूर्ण कालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान अनुग्रह किये जाने के संबंध में।


महोदय,


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा वेतन समिति की संस्तुतियां 1998 तथा इसी कम में मुख्य सचिव महोदय की संस्तुति के उदाहरण प्रस्तुत किये गये। इन संस्तुतियों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि 'स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान समय-समय पर पुनरीक्षित होते रहते हैं। मुख्य रूप से राजकीय कर्मचारियों के साथ इन कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का प्रकरण प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, वेतन समिति 1987 तथा समता समिति 1989 में एक साथ रखा गया। प्रश्नगत कर्मचारियों के वेतनमान हालांकि राजकीय कर्मचारियों के साथ-साथ ही 1-8-1972 तथा दिनांक 1-7-1979 से पुनरीक्षित किये गये किन्तु इन कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता दिनांक 1-1-86 से पूर्व नहीं थी। कतिपय वेतनमान राजकीय कर्मचारियों के समान अवश्य थे किन्तु अधिकांश वेतनमान इनके लिए अलग बनाये गये। राज्य सरकार द्वारा 14-10-1988 गठित वेतन समता समिति के विचार क्षेत्र में राजकीय कर्मचारियों के साथ इन कर्मचारियों को भी रखा गया जिनके लिए राज्य सरकार के आधार पर परीक्षण करते हुए संशोधित वेतनमान प्रस्तावित करने की अपेक्षा की गई थी। समता समिति ने विस्तृत परीक्षणोपरान्त ऐसे पद जिनकी समकक्षा केन्द्र सरकार से स्थापित हुई, उनके लिए भी लगभग वही सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान प्रस्तावित किये गये जैसा कि समता समिति ने राजकीय कर्मचारियों के वेतनमान प्रस्तावित किये गये।" ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 1-1-86 से राज्य कर्मचारियों के समान वेतनमान स्थानीय निकाय और जिला पंचायतों को दिये गये परन्तु विभाग द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह रपट हो सके कि जो वेतनमान 1-1-86 से दिये गये थे उसे दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित किये जाने पर इन वेतनमानों को राज्य सरकार के कर्मचारियों से समता रखी गई अथवा नहीं। सामेति का यह मत है कि वेतन समिति (1997-99) एवं उस कम में गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के कम में जो वेतनमान उ0प्र0 में लागू किया गया उसके कम में ही उत्तराखण्ड में वेतनमान लागू किये जाये।

इस कम में विभाग द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 18-6-2007 के द्वारा जिला पंचायतों के पूर्ण कालिक अधिकारी/कर्मचारियों को समान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। चूँकि पूर्व में वेतन समिति द्वारा राज्य कर्मचारियों से तुलना का सिद्धान्त स्वीकार किया है तथा वेतन समिति 1998 के चतुर्थ प्रतिवेदन के कम में जिला पंचायतों के पूर्ण कालिक अधिकारी/कर्मचारी को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है अतः सम्पूर्ण विचारोपरान्त समिति के द्वारा निम्नवत् संस्तुति की है:-

उक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन उत्तराखण्ड के जिला पंचायतों के पूर्ण कालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,


(आलोक कुमार जैन)


प्रमुख समाचार, घृत्ति।

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त।

रोपा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा,
उत्तराखण्ड शासन।

दित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक: १२ सितम्बर, २००८

विषय:- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के फिजोथरेपी टैक्नीशियन कुष्ठ का
वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हैं त्रु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के समुख विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की वेतन समिति(1997-99) के कम में मुख्य सचिव समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के फिजोथरेपी टैक्नीशियन(पी.टी.टी) कुष्ठ के पद के पद के वेतनमान रु० ३०५०-४५९० के स्थान पर रु० ४०००-६००० संशोधित/पुनरीक्षित किये जाने विषयक पूर्ववर्ती राज्य द्वारा शासनादेश संख्या २८०/५-७-२००७-८-२५/२००६ दिनांक ७-२-२००७ निर्गत किया गया है। प्रशासनिक विभाग का यह भी कथन था कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम की धारा-७४ को दृष्टि में रखकर हुए कि ये संस्तुतियों पूर्ववर्ती के वेतन समिति 1997-99 के कम में की गई है। अतः उक्त तिथि से ही उत्तराखण्ड में लाभ दिया जाना नियम संगत होगा।

समिति द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करने पर यह उचित पाया गया कि “उत्तराखण्ड के फिजोथरेपी टैक्नीशियन कुष्ठ को भी रु० ३०५०-४५९० के स्थान पर रु० ४०००-६००० का संशोधित वेतनमान दिया जाना औचित्यपूर्ण है”।

भवतीय
(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त।

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून: दिनांक: १५ सितम्बर, २००८


विषय:- उत्तराखण्ड इंजीनियरिंग कालेज के तकनीकी सहायकों के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य के अल्मोड़ा एवं पौड़ी स्थित इंजीनियरिंग कालेज में सृजित तकनीकी सहायकों को रु० 3050-4590 का वेतनमान दिया जा रहा है जबकि इसी पदनाम तथा इस पद हेतु निर्धारित योग्यता इंजीनियरिंग/टैक्नोलॉजी से संबंधित शाखा में डिप्लोमा तथा २वर्ष का अनुभव के लिए एच०बी०टी०आई० कानपुर में रु० 4500-7000 का वेतनमान अनुमन्य है। प्रशासनिक विभाग द्वारा इसके लिए साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये। प्रशासनिक विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्ववर्ती राज्य के अन्य इंजीनियरिंग कालेज यथा गोरखपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद आदि में तकनीकी सहायक का पद सृजित नहीं है।

समिति के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करने पर यह पाया गया कि एकल पदों या ऐसे तकनीकी पदों पर जहाँ पदोन्नति के अवसर नहीं होते हैं, को बजाज समिति की संस्तुति के अनुसार प्रतिनियुक्ति या सीमित समय हेतु रिडिप्लायमैन्ट हेतु भरा जाये क्योंकि ऐसे पदों पर प्रोन्नति के अवसर न होने से लम्बे समय तक एक ही पद पर कार्य करने से जहाँ कार्य करने से अभिरुचि कम होती है वहीं कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। “अतः वर्तमान में कार्यरत तकनीकी सहायक जिनकी शैक्षिक अर्हता इंजी०/टैक्नोलॉजी से संबंधित शाखा में डिप्लोमा हो तथा दो वर्ष का अनुभव हो, के पदधारकों को रु० 4500-7000 का वेतनमान तत्काल प्रभाव से दिया जा सकता है।” तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्य पदों पर किसी वेतन विसंगति का ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया अतः समिति द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया।

भवदीया,


(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त।

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कार्मिक,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून:दिनांक: १२.सितम्बर, २००८

विषय:- उर्दू अनुवाद सह कनिष्ठ लिपिक के पदों के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पूर्ववर्ती राज्य में सरकारी कार्यालय में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक का पद उच्चीकृत किया गया था परन्तु इस पद पर किसी भी प्रकार के प्रोन्नति के अवसर नहीं थे। पूर्ववर्ती राज्य द्वारा विचाराधीन प्रकरण में उ०प्र० के शासनादेश संख्या 15/10-94-का-4/2007 दिनांक 21-2-2007, द्वारा उर्दू अनुवाद सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर कार्यरत समर्त कार्मिकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ लिपिक वेतनमान रु० 4000-6000 में पद सहित उच्चीकृत कर दिया जाये।

समिति द्वारा सभी तथ्यों पर विचार किया गया और यह पाया गया कि सरकारी कार्यालय में यह एकल पद है और एकल पद होने के कारण प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु उ०प्र० में उच्च वेतनमान का निर्णय लिया गया। समिति का मत है कि "अन्य लिपिकीय पदों पर सभी को उच्चीकृत वेतनमान देने के बजाय समयमान वेतनमान की व्यवस्था की गई है अतः उर्दू अनुवाद सह कनिष्ठ लिपिक को लिपिकीय वर्ग मानकर ही अन्य कनिष्ठ लिपिक की भौति समयमान वेतनमान की सुविधा ही उपलब्ध कराई जाये। जब तक समयमान वेतनमान की प्रक्रिया है तब तक इन पदधारकों को रु० 3050-4590 के कनिष्ठ लिपिक की भौति 14 वर्ष पर रु० 4000-6000 का समयमान वेतनमान वैयक्तिक रूप से व्यवस्था रखी जानी उचित होगी न कि एक बार सभी पदों को 12 वर्ष के बाद उच्चीकृत वेतनमान दिया जाना।"

भवदीया,

(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त।

dc

संख्या: ३१० xxvii(7) 13वीं बैठक/2008

प्रेषक,

राधा रत्नौरी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राजस्व,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(बैठक/2008-साल/2008) अनु०-७

देहरादून: दिनांक: ०३ अगस्त, 2008

विषय:- राजस्व विभाग के दृष्टिहीन कुर्सी बुनकरों के पदों के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के समुख विभाग द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि वेतन समिति(1997-99) की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में वेतनमानों की विसंगतियाँ जिसके प्रकरणों की उम्प्र० में गठित मुख्य सचिव द्वारा रिट याचिका सं० 6193/(एस/एस)/2003 में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित ओदेश दिनांक: 10-11-2005 के अनुपालन के दृष्टिगत की गई संस्तुतियों पर दृष्टिहीन कुर्सी बुनकर के पदों का वेतनमान दिनांक 16-9-93 से रु० 750-1025 एवं 1-1-96 से रु० 2610-3540 का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में उम्प्र० के वित्त (वेतन आयोग) द्वारा दिनांक 12-9-2007 को नीतिगत शासनादेश तथा राजस्व परिषद उम्प्र० द्वारा दिनांक 22-10-2007 को उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु आदेश निर्गत कर दिया गया। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रकरण मा० न्यायालय के आदेश एवं वेतन समिति की संस्तुतियों, दोनों पर आधारित है।

अतः चूंकि वेतन समिति की संस्तुति है कि दृष्टिहीन कुर्सी बुनकरों का वेतनभान दिनांक 16-9-93 से रु० 775-1025 तथा दिनांक 1-1-96 से रु० 2610-3540 किया जाय। अतः वेतन विसंगति समिति के द्वारा दिनांक 9-11-2000 से पूर्व से कार्यरत कार्मिकों हेतु उक्त वेतनमान पुनरीक्षित करने हेतु न्यायोचित पाया गया है।

भवदीया,

(राधा रत्नौरी)

सचिव, वित्त।

प्रेषक,

राधा रत्नौड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वै०आ०—सा०नि०)अनु०—७

अ-१६८
देहरादून: दिनांक: ३ सितम्बर, २००८

विषय:-उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा विभाग के औषधि निरीक्षक एवं उप औषधि निरीक्षक पदों के वेतनमान संशोधन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार में भी औषधि नियंत्रण संगठन में आषधि निरीक्षक तथा उपऔषधि नियंत्रक के पद दिनांक १-१-१९८६ से उपलब्ध थे तथा इन पदों की योग्यता, चयन, प्रक्रिया, कार्य विवरण राज्य सरकार में उसी प्रकार है जैसा कि केन्द्र सरकार में है। समता समिति ने जो पूर्ववर्ती उ०प्र० में दिनांक १-१-८६ से केन्द्रीय वेतनमानों से समता स्थापित की थी परन्तु किन्हीं कारण वश इन पदधारकों को पद से पद समानता प्राप्त नहीं हुई। केन्द्र से समता प्राप्त न होने के कारण औषधि नियन्त्रक अधिकारी वैलफेर एसोसिएशन द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका संख्या २२९०/एसबी/ऑफ १९९३ योजित की गई। मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक २२-९-२००६ में औषधि निरीक्षक एवं उप औषधि निरीक्षक के पद को समता समिति के उद्देश्यों के आधार पर केन्द्र सरकार से पद से पद की समानता का सिद्धान्त स्वीकार किया तथा राज्य सरकार को तदनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

पूर्ववर्ती राज्य के शासनादेश संख्या १२७१/०५-०८-२००७ ५४ रिट/९३ दिनांक १५-५-२००७ द्वारा समता समिति (१९८९) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार औषधि नियन्त्रण संगठन ने विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया। विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्ववर्ती राज्य के शासनादेश संख्या ४९१४/१६-१०-८९-९०/८९ दिनांक १८-१०-८९ के साथ पठित शासनादेश सं०:२४७६/१६-१०-९०-९०/८९ दिनांक १७-५-९० के क्रम में उपऔषधि नियंत्रक तथा औषधि निरीक्षक के वेतनमान रु० ३०००-४७५० तथा रु० १६००-२६६० के स्थान पर रु० ३७००-१२५-४७५०-१५०

—5000 तथा रु० 2000—60—2300 द०रो० 75—3200—100—3500 पुनरीक्षित किया गया ।

चूंकि विचाराधीन प्रकरण समता समिति की संस्तुतियों तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों पर आधारित है अतः वेतन विसंगति समिति उपरोक्त पदों पर समता समिति के मानकों के अनुसार उपऔषधि नियंत्रक तथा औषधित निरीक्षक के पदों के वेतनभानों में दिनांक 9—11—2000 से संशोधित करने की संस्तुति करती है तथा दिनांक 9—11—2000 के पूर्व के प्रकरण अविभाजित उ०प्र० से संबंधित हैं अतः उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा—74 के अनुसार इस श्रेणी के पदाधिकारियों के लिए अलाभकारी स्थिति न हो, के आधार पर कार्यवाही की जा सकती है ।

भवदीया,


(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त ।

संख्या: ३६५ / xxvii(7) 13वीं वै ० / 2008

प्रेषक,

राधा रत्नौड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०—सा०नि०)अनु०—७

देहरादून:दिनांक: ३ अक्टूबर, 2008

विषय:- चिकित्सा विभाग के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के नर्सेज के वेतनमान संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में आयुर्वेद यूनानी विभाग के नर्सेज का वेतनमान एलोपैथिक विभाग के समान था। वर्तमान में एलोपैथी के नर्सेज का वेतनमान पूर्ववर्ती राज्य के वेतन समिति (1997-99) के क्रम में संशोधित कर दिया गया है तथा उक्त वेतन समिति के 16वें प्रतिवेदन खण्ड-2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार आयुर्वेदिक/यूनानी नर्सिंस सेवा संवर्ग के पदों हेतु पूर्ववर्ती राज्य में दिनांक 7-10-2004 को वेतनमान संशोधित कर दिया गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र०स०	पदनाम	दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान रु०	संशोधित वेतनमान रु०	अभियुक्ति
1	स्टाफ नर्स	5000-8000	5000-8000	इस पद की शैक्षिक अर्हता भर्ती की विधि तथा तकनीकी प्रशिक्षण चाकेत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में उपलब्ध स्टाफ नर्स के पद के समान रखा जाय।

2	सिस्टर	5000-8000	5500-9000	
3	सिस्टर ट्यूटर	5000-8000	6500-10500	
4	सहायक मैट्रन	5000-8000	6500-10500	सहायक मैट्रन एवं मैट्रन के पदों को संविलीन करते हुए मैट्रन पदनाम रखा जाय तथा इस पद को स्थायी सिस्टर से प्रोन्नति द्वारा (जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो) भरा जाएगा ।
	मैट्रन	5500-9000	6500-10500	

राज्य के प्रभाजन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती राज्य के कतिपय कार्मिक उत्तराखण्ड में कार्यरत हैं अतः समिति द्वारा उत्तराखण्ड में भी उक्त निर्धारित शर्तों के अधीन वेतनमान संशोधित करने की संस्तुति पर्नी जाती है ।

भवदीया,



(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त ।

प्रेषक,

राधा रत्नूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०—सा०नि०)अनु०—७

देहरादून:दिनांक: ०३ अक्टूबर, २००८
स्मितम्, २००८

विषय:- हे०न०ब०गढ़वाल विश्व विद्यालय, के जन्तु विज्ञान विभाग, श्रीनगर के रसायनज्ञ(शोध वैज्ञानिक) पद के वेतनमान, संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विश्व विद्यालय के वनस्पति विज्ञान तथा जन्तु विज्ञान के शोध वैज्ञानिक के पदों पर समान योग्यता एवं समान कार्य के लिए वर्ष 1990 में पदों के भरे जाने का विज्ञापन किया गया था। दोनों पदों पर संबंधित विषय के डी-फिल की योग्यता रखी गई थी पुरन्तु वनस्पति विज्ञान के शोध वैज्ञानिक का वेतनमान रु० 8000—13500 किया गया जबकि जन्तु विज्ञान में इस पद तथा इसी योग्यता के लाभित को, विषय के अन्तर के कारण मात्र से, रु० 6500—10500 का वेतनमान दिया गया। प्रशासनिक विभाग का यह मत था कि समान पद एवं कार्य प्रक्रिया तथा योग्यता के आधार पर दोनों पदों के वेतनमान में समानता रखी जाये।

समिति सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद यह संस्तुति करती है कि दोनों पदों के वेतनमानों में समानता स्थापित होती है। अतः शासन रत्तर पर वनस्पति विज्ञान(शोध वैज्ञानिक) एवं जन्तु विज्ञान रसायनज्ञ(शोध वैज्ञानिक) पर समान वेतनमान लागू किया जा सकता है।

भवदीया,

(राधा रत्नूड़ी)
सचिव, वित्त।

जयक.

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

रोपा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ10-सा0नि0)अनु0-7

दिष्य:- समयमान वेतनमान स्थीकृति की विसंगति का निराकरण।
महोदय,

देहरादून: दिनांक: २ जनवरी, 2009

उपर्युक्त विषयक शारान द्वारा समय-समय पर समयमान वेतनमान के संबंध में निर्गत शासनादेशों के कम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे मामलों में जहाँ संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर रामयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/समयमान वेतनमान जी अनुमन्यता हेतु अहं होने के पूर्व ही वास्तविक रूप से पदोन्नत हो जाता है, जबकि संवर्ग में उससे कनिष्ठ कार्मिक सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/समयमान वेतनमान अनुमन्य होने के पश्चात वहाँ कतिपय मामलों में उपर्युक्त के फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम हो जाता है इस समस्या के निराकरण हेतु सम्यक् रूप से विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय निम्न व्यवस्था करने की सहर्ष स्थीकृति प्रदान करते हैं:-

‘ऐसे मामले में, जहाँ संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड अथवा सेलेक्शन ग्रेड तथा प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के लिए अहं होने के पूर्व ही पदोन्नत हो गया हो, जबकि कनिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर सेलेक्शन ग्रेड अथवा सेलेक्शन ग्रेड तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त ऐसे वेतनमान प्राप्त किया हो, के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के समान कर दिया जाय’

2—उपर्युक्त प्रस्तर-1 में की गई व्यवस्था का लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की सेवा की परस्थितियों समान एवं तुलनीय रही हो। साथ ही यदि वरिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/समयमान वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत, सम्बन्धित लाभ की अनुमन्यता हेतु अहं होता, ऐसे प्रकरण में सेवा पुरितका से कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कार्मिक की प्रारम्भिक सेवा से तुलना करना अनिवार्य होगा कि कार्यभार ग्रहण की तिथि पर समान वेतनमान के समान सोपान पर वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ से कम नहीं था, यदि पिलन्ब से वरिष्ठ के कार्यभार ग्रहण करने या अन्य सेवा जोड़ने से कनिष्ठ का प्राथमिक वेतन निर्धारण अधिक हो तब इसे समान रिथ्ति नहीं माना जा सकता।

3—उपर्युक्त प्रस्तर-1/2 के अनुसार की गई व्यवस्था राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगी।

4—शासनादेश सं0—वे0आ10-2-500/दस-45(एम)/99, दिनांक 02-12-2000 तथा उसके कम में जारी शासनादेश उक्त सीमा तक रांशोधित समझे जायेंगे।

भवदीया,



(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त।

संख्या: / (1) / xxvii(7) / 2007 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
- 2.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल।
- 3.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 4.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड।
- 5.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 6.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 7.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
- 8.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
- 9.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रुड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ।
- 10.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक।
- 11.गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी०एन० सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०—सा०नि०)अनु०—७

देहरादूनःदिनांक: २५ फरवरी, 2009

विषय:—सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन / एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (ए०सी०पी०)
लागू किया जाना।

महोदय,

वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्या: 395 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षण किया गया है तथा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

2—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्मिकों के विभिन्न संवर्गों में प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की भाँति सुनिश्चित कैरियर स्तरोन्नयन योजना (ए०सी०पी०) को निम्नलिखित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(क) उक्त योजना में राज्य सरकार के समूह क, ख, ग एवं घ श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियों को कमश: 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने पर वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा। उक्त लाभ उन अधिकारियों / कर्मचारियों को भी अनुमन्य होगा जिनका कोई संगठित संवर्ग नहीं है अपितु वे एकल पद पर कार्यरत हैं तथा पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की योजना के अन्तर्गत उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह योजना उन संवर्गों के लिये नहीं होगी जिनकी संगत सेवानियमावली में पूर्व से ही समयमान / चयन वेतनमान / समयबद्ध प्रोन्नति

की व्यवस्था विद्यमान है जिसके कारण वित्तीय उन्नयन/प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं।

(ग) उक्त योजना का लाभ केंद्रीय तदर्थ एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं होगा।

(घ) इस योजना का प्रभाव संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति/रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति के सोपानों पर नहीं पड़ेगा।

3-वित्तीय स्तरोन्नयन की शर्तें एवं प्रतिबन्धः-

(क) योजना के अन्तर्गत कमशः 10,20 एवं 30 वर्षों में नियमित रूप से कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान किये जाने की व्यवस्था होगी अर्थात् अधिकारियों/कर्मचारियों के मौलिक नियुक्ति के पद के ग्रेड वेतन से आलोच्य अवधि पूर्ण होने पर उसे शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 की तालिका के कॉलम-5 में अग्रेतर ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। स्तरोन्नयन दिये जाने हेतु फंक्शनल/नियमित पदोन्नति की भाँति किसी पद के सापेक्ष स्तरोन्नयन नहीं होगा अपितु वर्तमान ग्रेड वेतन के ठीक बाद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ का अधिकतम स्तर वेतन बैन्ड-4 में वेतन बैन्ड रु0 37400-67000 पर रु0 8700 का ग्रेड वेतन (रु0 14300-18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान के स्तर तक) होगा इसके बाद के ग्रेड पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) सरकारी सेवक की 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, 20 वर्ष पर द्वितीय तथा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उपरोक्त प्रस्तर-3 (क) के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होगा। यदि संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण प्रथम स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अग्रेतर बढ़ जाता है तब इसका परिणामी प्रभाव द्वितीय एवं तृतीय स्तरोन्नयन पर भी उसी आधार पर पड़ेगा।

(घ) पूरे सेवा काल में सरकारी सेवक को सीधी भर्ती से उसकी प्रथम नियुक्ति के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होंगे। यदि प्रथम स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पूर्व कार्मिक की नियमित पदोन्नति हो जाती है और पदोन्नति होने में यदि पदधारक उपरिउलिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 की तालिका-5 में अपने मूल

पद के अगले ग्रेड वेतन में यदि पदोन्नत होता है तो उसे द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन में अगले ग्रेड वेतन कमशः 20 एवं 30 वर्षों में प्राप्त होंगे। यदि प्रथम पदोन्नति में ही पदधारक के मूल पद के ग्रेड वेतन से पदोन्नत होने पर दो स्तर उच्च का ग्रेड वेतन अनुमन्य होता है ऐसी स्थिति में क्योंकि उसे प्रथम पदोन्नति में ही द्वितीय स्तरोन्नयन का लाभ 10 वर्ष के अन्दर प्राप्त हो गया है ऐसी स्थिति में पूरे सेवा काल में अनुमन्य तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत आगामी वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ 30 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर ही अनुमन्य होगा। यदि कार्मिक को अपने मूल संवर्ग के पद से कमशः 10,20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही दो पुदोन्नति होने पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसे कार्मिकों को उक्त योजना का भविष्य में कोई अन्य लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(ड)उपरोक्त प्रस्तर-3(ए) उन कार्मिकों पर भी लागू होगा जिनको वेतन समिति (1997-1999) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 1-1-1996 से समयमान वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या-1014/01वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च 2001 एवं उक्त के क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों के अधीन कमशः 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति के पद के वेतनमान के अनुसार अनुमन्य किये गये वेतनमानों से यदि उपरिउल्लिखित शासनादेश 17 अक्टूबर,2008 केसंलग्नक-1 की तालिका-5 के अनुसार उसके मूल पद के सादृश्य यदि कमशः 1,2 या 3 उच्च स्तर के वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हो चुका है तो उसे कमशः 10,20 एवं 30 वर्ष,जैसी भी स्थिति हो पर अनुमन्य हो जाने पर उक्त योजनाका लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ कार्मिक को पूर्णतः वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जायेगा और इसका उसकी वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5.उक्त योजना के अन्तर्गत कार्मिक के वेतन का निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 (एक) के अनुसार कियाजायेगा। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभ अन्तिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय उसे वेतन निर्धारण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

6. उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य उच्च वित्तीय स्तरोन्नयन इस शर्त के अधीन होगा कि भविष्य में होने वाली रिक्ति पर उसकी पदोन्नति होती है तो वह उसे लेने के लिये बाध्य होगा।

7. यदि कोई कार्मिक उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित पदोन्नति को अस्वीकार करता है तो उक्त योजना के अन्तर्गत उसे अनुमन्य लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन उक्त योजना के अन्तर्गत उसे आगामी वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।

8. उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 के कॉलम-4 में क्रमांक -1 से 14 तक वेतन बैन्ड क्रमशः रु0 4440-7440 पर रु0 1300 का ग्रेड वेतन (रु0 2550-3200 का दिनांक 1-1-2006 से पूर्व का वेतनमान) से रु0 9300-34800 के वेतन बैन्ड पर रु0 4800 के ग्रेड वेतन (रु0 7500-12000 का दिनांक 1-1-2006 से पूर्व का वेतनमान) तक के पदधारकों के लिये उक्त योजना दिनांक 1-9-2008 से तथा वेतन बैन्ड 15600-39100 पर रु0 5400 के ग्रेड वेतन (रु0 8000-13500 का दिनांक 1-1-2006 से पूर्व का वेतनमान) तक के कार्मिकों को उक्त योजना का लाभ दिनांक 1-1-2006 से अनुमन्य होगा। यदि वेतन बैन्ड-3 के उक्त प्रारम्भिक पद पर किसी विभाग के किसी पद के एकल या एक से अधिक पद होने पर भी समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अधीन उसे 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे पदधारकों को 10 वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2006 से पूर्व भी पूर्ण करने पर भी उक्त योजना का लाभ दिनांक 1-1-2006 से अथवा उक्त तिथि के बाद जहां भी वे 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हों, अनुमन्य होगा। ऐसे कार्मिकों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ क्रमशः 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पर प्राप्त होंगे।

9. सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन/एश्योर्ड कैरियर स्तरोन्नयन योजना (ए०सी०पी०) लागू होने की तिथि से समयमान वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या-1014/01वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च 2001 एवं उक्त के क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश निरस्त समझे जायेगें।

भवदीय,
Abh Jain
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या: / (1) / xxvii(7) / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. रथानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

/
(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

- १: समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- २: समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वित्त(ठै०आ०-स०नि०) अनु०-७

विषय: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में आ रही विसंगति के निराकरण के संबंध में ३१-७-२००७ के शासनादेश का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 190/XXVII(7)/2007 दिनांक ३१-७-२००७ में स्पष्ट किया गया है कि चतुर्थ वर्ग के ऐसे कर्मचारी जिनकी सीधी भर्ती का वेतनमान रु० २५५०-३२०० है, से १४ वर्ष की सेवा पर रु० २६५०-४००० का समयमान वेतनमान तथा २४ वर्ष की सेवा पर रु० ३०५०-४५९० का द्वितीय समयमान वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-२ में समयमान वेतनमान विषयक शासनादेशों का उल्लेख कर उनमें उक्त सीमा तक संशोधन किया गया अर्थात् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान विषयक पूर्व निर्णय शासनादेशों के क्रम में मात्र वेतनमान परिवर्तित करने तक की सीमा में ही संशोधित किया गया है समयमान वेतनमान हेतु लागू पूर्व की तिथि यथावत होगे न कि संशोधन विषयक आदेश दिनांक ३१-७-२००७ के दिनांक से।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Allok Jain
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या ४६ /XXVII(7)/2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १: महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- २: सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ३: सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ४: सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ५: रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- ६: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
- ७: पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
- ८: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
- ९: समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- १०: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- ११: इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- १२: निदेशक, एन०आई०सी०उत्तराखण्ड देहरादून।
- १३: गार्ड फाइल।

आज्ञा
Allok Jain
(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वै०आ०—सा०नि०)अनु०—७

देहरादूनःदिनांक २५ सितम्बर, २००९

विषय—अखिल भारतीय सेवा तथा अन्य राज्य सेवाओं हेतु वेतन बैंड—४ में रु० ३७४००—६७००० में रु० १२००० ग्रेड पे में संशोधन।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक २९ अगस्त, २००८ द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा(संशोधित वेतन नियमावली, २००८) में उल्लिखित वेतनमान रु० २२४००—५२५—२४५०० का दिनांक १—१—२००६ से जो संशोधित वेतन संरचना में वेतनमान बैंड—४ में वेतनमान रु० ३७४००—६७००० ग्रेड पे—१२००० अधिसूचित किया गया था उसके स्थान पर अब अधिसूचना संख्या ४१० दि० १६ जुलाई, २००९ द्वारा संशोधित वेतनमान हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड(एच०ए० जी०) में रु० ६७०००(३ प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)—रु० ७९००० कर दिया गया है तथा ग्रेड वेतन को समाप्त कर दिया है। भारत सरकार की उपरिउल्लिखित अधिसूचना दि० २९ अगस्त, २००८ के अनुरूप ही राज्य सरकार की वेतन समिति की संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या ३९५/xxvii(7)/२००८ दिनांक १७ अक्टूबर, २००८ के द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतनमान दि० १—१—२००६ से पुनरीक्षित किये गये हैं।

2. भारत सरकार की उक्त अधिसूचना संख्या ४१० दि० १६ जुलाई, २००९ के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य को आंवटित या इस राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के रु० ३७४००—६७००० के पे बैंड में ग्रेड पे रु० १२००० में कार्यरत पदों के वेतन बैंड को रु० ६७०००(३ प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) — ७९००० में बिना किसी ग्रेड पे के संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त पुनरीक्षण दि० १—१—२००६ या पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से ही लागू होगा।

3. उक्त संशोधित व्यवस्था के फलस्वरूप शासनादेश संख्या ३९५/xxvii(7)/२००८ दिनांक १७ अक्टूबर, २००८ के संलग्नक I में राज्य कर्मचारियों के लिए क्रमांक—२३ में अंकित उक्त वेतनमान की व्यवस्था भी केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश के शेष सभी प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

संलग्न—यथोपरि।

केन्द्रीय,
lal Jain
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: २९५(१) / XXVII(7) / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा सं

(टी०एन०सिंह)

अपर सचिव।

भारत का राजपत्र

THE GAZETTE OF INDIA

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (I)

PART II-Section 3-Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

संख्या: 4101

No. 4101

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2009 / आशाढ़ 25, 1931

NEW DELHI. THURSDAY. JULY 16, 2009/ASADHA 25, 1931

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 527(अ)—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में निम्नलिखित संशोधन जारी किया जाता है:

- (i) क्र.सं. 32, जो पहली अनुसूची के खण्ड I भाग—क में पूर्व—संशोधित वेतनमान एस—30 (22400—525—24500 रुपए) के बारे में है, को निम्नवत संशोधित किया जाएगा:—

(रुपए में)

मौजूदा वेतनमान			संशोधित वेतन ढांचा		
क्र.स.	पद/ग्रेड	मौजूदा वेतनमान	वेतन बैंड/वेतनमान का नाम	अनुरूपी वेतन बैंड/ वेतनमान	अनुरूपी ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	एस—30	22400—525—24500	एच.ए.जी.	67000 (3% की शून्य	

				दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000	
--	--	--	--	---------------------------------------	--

(ii) तालिका में आखिरी लाइन पी.बी. 4 (37400–57000 रुपए) जो पहली अनुसूची के खण्ड II भाग क में 12000 रुपए के ग्रेड वेतन के बारे में है, को भिटा दिया जाएगा।

(फा.सं. 02/01/2008–आई.सी.)
मधुलिका पी.सुकुल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 को जी.एस.आर. 622 (ई), दिनांक 29 अगस्त, 2008/भाद्रपद 7, 1930 के तहत अंधिसूचित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
 (Department of Expenditure)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2009

G.S.R. 377(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the following amendment to Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 is hereby issued:

- (i) Sl.No.32, which relates to the pre-revised scale S-30 (Rs.22400-525-24500) in Section 1, Part A of the First Schedule shall be amended as under:-

Present Scale			Revised Pay Structure (In Rupees)		
SL No.	Post/ Grade	Present Scale	Name of Pay Band/ Scale	Corresponding Pay Bands/ Scales	Corresponding Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	S-30	22400-525-24500	12AG	67000-(annual increment @ 3%)-79000	Nil

- (ii) The last row in the table PB-4 (Rs.37400-67000) which relates to grade pay of Rs.12000 in Section II, Part A of the First Schedule shall be deleted.

[F. No. 01/01/2008-IC]
 MADHULIKA P. SUKUL, Jt. Secy.

Foot Note: The Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 were notified vide G.S.R. 622(E) dated the 29th August, 2008/Bhadrapada 7, 1930.

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1: समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2: समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वी0आ०-सा०नि०) अनु०-७

देहरादून: दिनांक ॥ नवम्बर 2009

विषय: उच्च प्रशासनिक ग्रेड (**HAG**) के अधिकारीय सेवा एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का वेतनमान रु० 67000-79000 में दिनांक 1-1-2006 से पुनर्निर्धारण प्रक्रिया।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 294/XXVII(7)/2009 दिनांक 25 सितम्बर 2009 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि 1-1-2006 से पूर्व वेतनमान रु० 22400-525-24500 को 1-1-2006 से लागू वेतन बैन्ड -4 रु० 37400-67000 ग्रेड पे के स्थान पर रु० 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) रु० 79000 किया जाय। कर्तिपय स्तरों से जिज्ञासा की गयी है कि इस वेतनमान में निर्धारण किस तारीख तथा किस प्रकार किया जायेगा ? भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या एफ. एन. 1/1/2008 -आई सी दिनांक 21-7-2009 (संलग्नक-1) में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की गयी है:

1: जिन प्रकरणों में 1.1.2006 से वेतन पुनरीक्षित कर दिया गया है उनके प्रकरण में या जिनका निर्धारण किया जाना है 1.1.2006 से निम्नलिखित फिटमेन्ट टेबिल के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाय:

अपुनरीक्षित वेतनमान(S-30)

रु० 22400-525-24500

पुनरीक्षित वेतनमान

HAG 67000(3% वार्षिक वेतन वृद्धि) रु० 79000

अपुनरीक्षित मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन
22400	67000
22925	69010
23450	71080
23975	73220
24500	75420

2 यदि कोई अधिकारी पुनरीक्षित HAG वेतनमान में अपना पूर्व विकल्प बदलना चाहता है तब सीधे सक्षम प्राधिकारी को देगा, शासन को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

3 एरियर का भुगतान पूर्व प्रक्रिया के अनुरूप होगा अर्थात् १००८-०९ में 40%, २००९-१० में 30%, एवं २०१०-११ में 30% भुगतान किया जाय।

4 यदि रु० 67000-79000 के वेतनमान (HAG) से उच्च वेतनमान में (HAG+) में प्रोन्नति की स्थिति हो तब ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम वेतन रु० 75500 तथा अधिकतम् वेतन रु० 80000 होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या २६ /XXVII(7)/2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1: महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2: समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3: समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 4: सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5: सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6: रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 7: स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
- 8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9: समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 11: इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 12: निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 13: गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शारद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव

F.No.1/1/2008-IC
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Finance/Vitta Mantralaya
Department of Expenditure/Vyaya Vibhag
(Implementation Cell)

New Delhi, the 21st July, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations - replacement of the pre-revised S-30 pay scale (Rs.22400-24500) by a new HAG scale (Rs.67000-79000).

The undersigned is directed to refer to the amendment to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, notified vide G.S.R. No.527(E) dated 16th July, 2009 (copy enclosed) and to draw attention towards this Department's Office Memorandum of even number dated 30th August, 2008 on the subject 'Implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations - fixation of pay and payment of arrears - instructions regarding'. Vide the above amendment to the CCS (Revised Pay) Rules, 2008, the pre-revised scale S-30 i.e. Rs.22400-24500 has been replaced by HAG scale of 67000-(annual increment @ 3%)-79000. Accordingly, in terms of Rule 6 of CCS (Revised Pay) Rules, 2008, revised pay of the government servants in the pre-revised scale S-30 who have already exercised their option for drawal of their pay in the revised pay structure in the format prescribed in the Second Schedule to the Rules will be fixed again in accordance with the fitment table annexed to this O.M. (Annex-I).

2. In the case of all such officers in the pre-revised S-30 scale who had opted to have their pay fixed under CCS (RP) Rules, 2008, action as prescribed in para 2 of this Department's O.M. of even number dated 30th August, 2008 will be taken. **In case any officer in the pre-revised S-30 scale desires to revise his earlier option for coming over to the revised pay structure, he may be permitted to do so without making any reference to this Department.**

3. On account of pay fixation due to the revised HAG scale of Rs.67000-79000, arrears of pay will be recalculated and difference of arrears in respect of the first installment of 40% of arrears will be paid immediately. The remaining 60% will be paid as and when orders in this regard are issued by this Department. The manner of drawal of arrears has already been indicated in this Department's O.M. of even number dated 30.8.2008.

4. In the case of promotion from PB-4 to HAG scale and from HAG scale to HAG+ scale after 1.1.2006, fixation of pay in terms of Rule 13 of CCS (RP) Rules, 2008 will be done in the manner indicated below:-

- (i) ✓ In the case of promotion from PB-4 to HAG scale, after adding one increment in the manner prescribed in Rule 9 of CCS (RP) Rules, 2008, the pay in the pay band and existing grade pay will be added. To the figure so arrived at, a sum of Rs.2000 will be added so that the benefit allowed on promotion to HAG in terms of this Department's Notification GSR 622(E) dated 29.8.2008 is not withdrawn. The resultant figure will become the basic pay in HAG scale, subject to a minimum of Rs.67000. The Basic Pay in HAG scale shall not exceed Rs.79000, the maximum of the scale. For Government servants in receipt of NPA, pay + NPA will not exceed Rs.85000.
- (ii) In case of promotion from HAG scale to HAG+, after adding one increment in the manner prescribed in Rule 9 of CCS (RP) Rules, 2008, the resultant figure will become the basic pay in HAG+, subject to a minimum of Rs.75,500. The Basic pay in HAG+ scale shall not exceed Rs.80000, the maximum of the scale. For Government servants in receipt of NPA, pay + NPA will not exceed Rs.85000.

Hindi version will follow.


(ALOK SAXENA)
Director

To

All Ministries/Departments of the Government of India and others
as per standard list.

Fitment Table

Pre-revised scale (S - 30)
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Scale
HAG 67000-(annual increment @ 3%)-79000

Pre-revised Basic Pay	Revised Basic Pay
22,400	67000
22,925	69010
23,450	71080
23,975	73220
24,500	75420

J
R. LOK SAXENA
Director (IC)
Ministry of Finance
Dept. of Expenditure
New Delhi

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (व०आ०-सा०नि०)-7

दहरादून: दिनांक 09 फरवरी, 2010

विषय:-राज्य सरकार के कर्मियों के लिए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किया जाना।

महोदय,

वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए शासनादेश संख्या-75 XXVII(7) ए०सी०पी०/2009, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा लागू की गयी सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्ययन/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम को अतिक्रमित करते हुए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अनुरूप सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्ययन योजना (ACP) संलग्न विस्तृत दिशानिर्देश के अनुरूप लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त योजना दिनांक 1-1-2006 के पूर्व के वेतनमान रु० 7500-12000 पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड पे रु० 4800 तक के पदधारकों के लिए दिनांक 1-9-2008 से तथा वेतनमान रु० 8000-13500 पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड पे रु० 5400 तथा उससे ऊपर के वेतनमान के पदधारकों के लिए दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी होगी।

3— योजना का विस्तृत स्वरूप एवं शर्तें संलग्न है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,
Mok Jai
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

शासनादेश संख्या 444/xxvii(7)ए0सी0पी0 / 2010 का संलग्नक

1. सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन की उक्त योजना के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन कमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर अनुमन्य होंगे। उक्त योजना के अन्तर्गत कार्मिक के द्वारा अविरल रूप से एक ही ग्रेड पे पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही देय होगा।
2. उक्त योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2009 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 में दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में पदधारक को प्राप्त हो रहे ग्रेड पे से अगला ग्रेड पे अनुमन्य होगा। इस प्रकार उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ग्रेड पे पद धारक के नियमित पदोन्नति के पद के ग्रेड पे से किन्हीं मामलों में भिन्न भी हो सकता है और ऐसे मामलों में संगत संवर्ग में सेवानियमावली के अनुसार अगले पदोन्नति के पद के अनुरूप ग्रेड पे संबंधित कार्मिक के नियमित पदोन्नति पर ही देय होगा।
3. उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ के पे बैंड-4 में उच्चतम ग्रेड पे ₹0 10,000 तक अनुमन्य होगा।
4. पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण का जो लाभ प्राप्त होता है वही वित्तीय लाभ उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य करते समय देवा होगा। इस प्रकार स्तरोन्नयन के पूर्व कार्मिक को उसके वेतन बैंड में दिये जा रहे वेतन तथा ग्रेड पे के योग पर 3 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी। उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे ग्रेड पे के पद पर नियमित पदोन्नति की स्थिति में किसी प्रकार का वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। यदि उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ग्रेड पे के सापेक्ष अगली पदोन्नति उच्च ग्रेड पे वाले पद पर होती है तब ऐसी स्थिति में कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और केवल ग्रेड पे में अन्तर की धनराशि ही अनुमन्य होगी। उदाहरणार्थ:- यदि एक राज्य सरकार के कार्मिक की पे- बैंड-1 में ₹01900 के ग्रेड पे के पद पर सीधी भर्ती होती है और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उसे कोई पदोन्नति अनुमन्य नहीं होती है तो उसे उक्त योजना के अन्तर्गत उसके पद से उच्च ग्रेड-पे ₹0 2000 का वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा और उसको प्राप्त हो रहे वेतन में एक वेतन वृद्धि तथा ग्रेड-पे के अन्तर (₹0 100) अनुमन्य होगा। वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत उच्चीकरण का लाभ उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य होने के बाद यदि उक्त कार्मिक का अपना संवर्ग में पदोन्नति के प्रक्रम में ₹0 2400 के ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति

होती है तो नियमित पदोन्नति के समय उसे मात्र ग्रेड-पे का अन्तर ($₹02400 - ₹2000 = ₹400$) ₹0 400 अनुमन्य होगा और इस स्तर पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5. पूर्व में अनुमन्य पदोन्नति या समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वेतनमान के उच्चीकरण के फलस्वरूप यदि वेतन समिति के द्वारा दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में 2-3 वेतनमान एक ही वेतनमान/उच्चीकरण के फलस्वरूप एक ही वेतनमान में संविलियन हो गते हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त योजना के अन्तर्गत देय सुविधा के लिए उक्त वेतनमानों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। उदाहरणार्थः— किसी संवर्ग में बढ़ते कम में वेतनमान के पुनरीक्षण के पूर्व वेतनमान कमशः ₹0 5000-8000, ₹0 5500-9000 एवं ₹0 6500-10500 हैं:-

(क) एक सरकारी कर्मचारी जिसकी पूर्व में भर्ती अपुनरीक्षित वेतनमान ₹0 5000-8000 में होने के बाद उसे दिनांक 1-1-2006 के पूर्व 25 वर्ष बाद भी पदोन्नति नहीं हुयी है, इस प्रकरण में दिनांक 1-1-2006 को उन्हें दिनांक 1-1-2006 तक उक्त योजना के अन्तर्गत दो वित्तीय स्तरोन्नयन अगले दो वेतनमान के प्राप्त हो जाने चाहिये थे। उदाहरणार्थः— ₹0 5500-9000 एवं ₹0 6500-10500 के अपुनरीक्षित वेतनमान में देय होने चाहिये थे।

(ख) दूसरा सरकारी कर्मचारी उसी संवर्ग में पूर्व के ₹0 5000-8000 के अपुनरीक्षित वेतनमान में भर्ती हो कर उसे 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक उसे अगले दो वेतनमान कमशः ₹0 5500-9000 एवं ₹0 6500-10500 के वेतनमान के पदों पर दो पदोन्नतियों प्राप्त हो गयी है।

उक्त 'क' एवं 'ख' के प्रकरणों में कार्मिक को दिनांक 1-1-2006 के पूर्व ₹0 5500-9000 एवं ₹0 6500-10500 के वेतनमान में प्राप्त हुयी पदोन्नतियों/समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्राप्त लाभ को दिनांक 1-1-2006 से उक्त वेतनमानों के संविलियन के फलस्वरूप स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। दोनों कार्मिकों को पे-बैण्ड-2 में ₹0 4200 का ग्रेड-पे अनुमन्य होगा। उक्त योजना के लागू होने के बाद, उक्त 'क' एवं 'ख' के दोनों कार्मिकों को पे-बैण्ड-2 में उनको प्राप्त हो रहे ग्रेड-पे के अगले दो ग्रेड-पे कमशः ₹0 4600 एवं ₹0 4800 अनुमन्य होंगे।

6. जिन कर्मचारियों को पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2006 के पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हो चुका है, उनका वेतन निर्धारण उनको पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त हो गये वेतनमान के अनुसार ही किया जाएगा।

(1) यदि समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2006 से दिनांक 31-8-2008 तक किसी कार्मिक को समयमान वेतनमान प्राप्त हुआ है तो उसे पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु निम्नलिखित विकल्प हैं:-

(क) 1-1-2006 से पूर्व के वेतनमान में दिनांक 1-1-2006 से वेतन निर्धारण या

(ख) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत जिस तिथि से वेतनमान का उच्चीकरण हुआ है उस तिथि से वेतन निर्धारण। उक्त बिन्दु-'ख' के अनुसार विकल्प देने पर उसे एरियर का भुगतान केवल उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने अर्थात् समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वेतनमान उच्चीकरण की तिथि से ही देय होगा।

(2) पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अपने संवर्ग के अनुसार अगले वेतनमान में वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हो गया हो, लेकिन छठवें वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने के बाद संवर्ग में अगला उच्च वेतनमान का उच्चीकरण उच्च ग्रेड-पे पर हो गया है ऐसे कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण उक्त उच्च ग्रेड-पे के अनुसार किया जाएगा।

7. किसी कार्मिक की उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन की योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्तरोन्नयन/पदोन्नति होने पर कार्मिक को यह विकल्प प्राप्त है कि वह पदोन्नति/उच्चीकरण की तिथि या दिनांक 1-1-2006 से वेतन निर्धारण का विकल्प दे सकता है।

8. चयन के नियमों के अन्तर्गत यदि पदोन्नति के सोपान में एक ही ग्रेड-पे वाले पद पर पदोन्नति होती है तो उसे उक्त योजना के अन्तर्गत गणना में लिया जाएगा।

9. 'नियमित सेवा':—उक्त योजना के अन्तर्गत नियमित सेवा का तात्पर्य नियमित सेवा का प्रारम्भ सीधी भर्ती या संविलियन या पुर्णयोजन के आधार पर नियमित रूप से सीधी नियुक्ति के पद पर भर्ती से है। तदर्थ/संविदा के

आधार पर नियुक्ति के बाद नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण की अवधि को नियमित सेवा के रूप में गणना में नहीं लिया जाएगा। लेकिन नये विभाग में नियमित नियुक्ति के पूर्व राज्य सरकार तथा भारत सरकार के अधीन उसी ग्रेड वेतन पर नियमित निरंतर संतोषजनक सेवा को उक्त योजना के अन्तर्गत नियमित सेवा के रूप में गणना में लिया जाएगा, परन्तु ऐसे प्रकरणों पर उक्त योजना का लाभ नये पद पर परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा। राज्य सरकार में आने से पूर्व सांविधिक संरथान/स्वायत्तशासी संरथा/सार्वजनिक उपकरण/निगम में की गई सेवा को उक्त लाभ हेतु नियमित सेवा में गणना में नहीं लिया जाएगा।

10. सक्षम अधिकारी की नियमित रूप से स्वीकृत प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा/अध्ययन अवकाश तथा अन्य अवकाश में व्यतीत की गई अवधि को नियमित सेवा में की गई सेवा में गणना में लिया जाएगा। उक्त योजना वर्कचार्ज कर्मचारियों पर तभी लागू होगी जब उनकी सेवा शर्ते नियमित अधिष्ठान के पदधारकों के समान हो।

11. वर्तमान में प्रचलित समयबद्ध प्रोन्नति की योजनायें जिनमें *in-situ* पदोन्नति योजना, वाहन चालक स्टाफिंग पैटर्न या वर्ग विशेष के लिए लागू अन्य पदोन्नति की योजना तब तक लागू रहेगी जब तक सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको बनाये रखने का सम्यक रूप से निर्णय लिया जाता है अन्यथा उन पर उक्त योजना लागू होगी। लेकिन उक्त योजनाएं इस योजना के साथ-साथ लागू नहीं रहेगी।

12. उक्त योजना केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होगी और यह मंत्रालय/विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में स्वायत्तशासी निकाय/सांविधिक निकायों पर स्वतः ही लागू नहीं होगी। उक्त योजना को ऐसी निकायों में लागू किये जाने से पूर्व इससे पड़ने वाले वित्तीय उपाशय को ध्यान में रखते हुए संबंधित निकाय के प्रशासकीय इकाई/निदेशक मण्डल तथा संबंधित विभाग के द्वारा निर्णय लेकर वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।

13. उक्त योजना के अन्तर्गत यदि कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होने के कारण वह 10 वर्ष के अन्दर वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत एक ग्रेड-पे के लिए अर्ह नहीं होता है तो इसका परिणामी असर आगामी वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा और प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के बाद उक्त देय

आगामी स्तरोन्नयन भी उक्त विलम्बित अवधि के लिए अग्रेशित किया जाएगा।

14. उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के उपरान्त कार्मिक के पदनाम, वर्गीकरण एवं प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वित्तीय एवं अन्य प्रकार के लाभ जो कार्मिक के आहरित वेतन पर निर्भर करते हैं जैसे— भवन निर्माण अग्रिम, सरकारी आवास आवंटन आदि के लिए इसे गणना में लिया जाएगा।

15. पी०बी-१ के अन्तर्गत ग्रेड-पे के कम में वित्तीय स्तरोन्नयन कार्मिक की स्वस्थता(fitness) के आधार पर नॉन फक्शनल बेसिस पर तथा उक्त के बाद रु० 6600 तक के ग्रेड पे में 'अच्छा' (good) तथा रु० 7600 अथवा इससे उच्च के ग्रेड-पे पर 'बहुत अच्छा'(very good) का मापदण्ड निर्धारित किया जाएगा।

16. उक्त योजना की अनुमन्यता हेतु अनुशासनात्मक / दण्डात्मक प्रक्रिया पदोन्नति के राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों से ही शासित होंगी।

17. उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ केवल वैयक्तिक रूप से अगला ग्रेड-पे/वित्तीय लाभ के लिए ही होगा और इसका आशय कार्मिक की बास्तविक / कार्यात्मक पदोन्नति से नहीं है इसलिए इस योजना में आरक्षण के नियम / रोस्टर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त लाभ समान रूप से समस्त अर्ह अनु०जाति / जनजाति के कार्मिकों के लिए भी है। लेकिन कार्मिक की नियमित पदोन्नति के समय समस्त आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा, उक्त कारण से ही यह आवश्यक नहीं होगा कि स्कीनिंग कमेटी जो वित्तीय स्तरोन्नयन के मामलों पर विचार करेगी, में अनु०जाति / जनजाति के संबंध सदस्य के रूप में हो।

18. उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन कार्मिक की वैयक्तिक स्थिति होगी और इसका कार्मिक की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं होगा। वरिष्ठ कार्मिकों के लिए इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, कि कनिष्ठ कार्मिक को उससे उच्च वेतन / ग्रेड-पे उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य हो गया है।

19. सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य किये गये वेतन बैण्ड में आहरित वेतन तथा ग्रेड-पे को जोड़ते हुए समर्त परिणामी लाभ अनुमन्य होंगे।

20. 'समूह'क' के वे राजकीय कार्मिक जो अब तक पूर्व योजना से आच्छादित नहीं हो सके हैं और वे अब तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए सीधे अर्ह हो गये हैं क्योंकि उनके द्वारा 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली गयी है उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में कमशः अगले तीन उच्च ग्रेड-पे में 3 प्रतिशत की वृद्धि देते हुए प्रत्येक स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। जो कार्मिक द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए अर्ह है उसका वेतन भी उक्तवत निर्धारित किया जाएगा।

21. यदि कोई कार्मिक अपने संगठन में सरप्लस घोषित होने के बाद उसी वेतनमान या नीचे के वेतनमान में नये संगठन में नियुक्त होता है तो पूर्व संगठन में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा को नये संगठन में की जा रही नियमित सेवा में उक्त योजना के लाभ हेतु गणना में लिया जाएगा। यदि कोई कार्मिक पदोन्नत होने पर /पूर्व में अनुमन्य समयमान वेतनमान से एक-पक्षीय रूप से निम्न पद या निम्न वेतनमान के पद पर स्थानान्तरण का अनुरोध करता है तो वह उक्त योजना के अन्तर्गत 20 तथा 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर, जैसा भी प्रकरण हो, नये संगठन में प्रथम पद पर नियुक्ति की तिथि से कमशः द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा।

22. यदि कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता होने के पूर्व नियमित पदोन्नति अनुमन्य होने पर कार्मिक के द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऐसे कार्मिक को कोई वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ इस कारण अनुमन्य नहीं होगा क्योंकि उसका स्टेगेनेशन अवसर की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो रहा है। यदि स्टेगेनेशन के कारण वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमति दी जाती है और कार्मिक बाद में पदोन्नति लेने से मना करता है तो यह वित्तीय स्तरोन्नयन लेने का आधार नहीं बनेगा लेकिन ऐसी स्थिति में वह आगामी वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक वह पदोन्नति के लिए सहमत नहीं होता है तथा द्वितीय तथा

अगला वित्तीय स्तरोन्नयन असहमति की अवधि तक के लिए डिफर कर दिया जाएगा।

23. अन्य प्रकरणों के साथ स्कीनिंग कमेटी के द्वारा ऐसे कार्मिकों के प्रकरण पर भी विचार किया जाएगा जो उच्च पद तदर्थ आधार पर धारित किये हुए हैं। ऐसे पदधारकों को वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अपने निम्न वेतनमान के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित होने या तदर्थ रूप से धारित पद के वेतन से अधिक लाभकारी होने पर अनुमन्य होगा।

24. उक्त योजना का लाभ की अनुमन्यता हेतु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को अपने पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तन आवश्यक नहीं होगा, वरन् उसके द्वारा इस आशय का नया विकल्प कि वह धारित पद के पे-बैण्ड तथा ग्रेड-पे के अनुरूप वेतन आहरित करेगा या उक्त योजना के अन्तर्गत वेतन तथा ग्रेड-पे के अनुरूप, जो भी लाभप्रद हो, दे सकता है।

25. उदाहरणः—

क-(1)यदि पे बैण्ड-1 में ग्रेड-पे-रु01900 में कार्यरत कनिष्ठ सहायक का उसके पे-बैण्ड में प्रथम पदोन्नति प्रवर सहायक ग्रेड पे-रु02400 में 8 वर्ष की सेवा पर हो जाती है और वह उसी ग्रेड-पे पर बिना पदोन्नति के 10 वर्ष तक कार्यरत रहता है तब वह उक्त पे-बैण्ड में उक्त योजना के अन्तर्गत रु0 2800 के ग्रेड-पे के वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए 18 वर्ष की सेवा(8+10वर्ष) पूर्ण करने पर अर्ह हो जाएगा।

(2)यदि उक्त पदधारक को कोई पदोन्नति पुनः प्राप्त नहीं होती है तब उसे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन पी0बी0-2 में रु0 4200 पर पुनः 10 वर्ष की सेवा अर्थात कुल 28 वर्ष की सेवा (8+10+10वर्ष) पूर्ण करने पर अर्ह हो जाएगा।

(3)यदि उक्त पदधारक की द्वितीय पदोन्नति पी0बी0-2 ग्रेड-पे रु0 4200 के पद पर 5 वर्ष की और सेवा करने पर हो जाती है उदाहरणार्थः— 23 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (8+10+5वर्ष) पूर्ण करने पर उसे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन 30 वर्ष की सेवा अर्थात द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रु0 4600 का ग्रेड-पे अनुमन्य होगा।

उक्त परिदृश्य में, उच्चीकरण की अनुमन्यता के पूर्व संगत पे-बैण्ड में आहरित किये जा रहे वेतन में ग्रेड-पे जोड़कर वेतन में 3 प्रतिशत की वृद्धि

की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसी ग्रेड-पे या उच्चीकृत ग्रेड-पे में नियमित पदोन्नति होने पर पदधारक का कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा और उसे मात्र ग्रेड-पे के अन्तर की धनराशि ही पदोन्नति के समय अनुमन्य होगी।

ख—यदि पे—बैण्ड-1 में ग्रेड-पे रु0 1900 के कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिक को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन इसी पे—बैण्ड में रु0 2000 के ग्रेड-पे पर अनुमन्य होने पर 5 वर्ष बाद उसे प्रवर सहायक के पद पर प्रथम नियमित पदोन्नति ग्रेड-पे—रु0 2400 पर उक्त योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन(कार्मिक के द्वारा धारित ग्रेड-पे का अगला ग्रेड पे) 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पी0बी0—1 में ग्रेड-पे रु0 2800 अनुमन्य होगी। उक्त कार्मिक को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उक्त योजनान्तर्गत तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत रु0 4200 का ग्रेड-पे अनुमन्य होगा। लेकिन 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व दो पदोन्नतियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो द्वितीय पदोन्नति के पद के ग्रेड-पे पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, जो भी पूर्व में हो से ही तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा।

ग—यदि सरकारी सेवक को या तो दो नियमित पदोन्नतियाँ या पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत रु0 7500—12000 तक दो वेतनमान के पदधारकों के लिए दिनांक 31—8—2008 तक 24 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय समयमान वेतनमान अनुमन्य हो गया हो, तो उक्त योजना के अन्तर्गत 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अवधि के पूर्व अपने संवर्ग में उसको तृतीय पदोन्नति न प्राप्त हुई हो।


(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।

ॐ श्रीराम

प्रस्ताव 25 (3) (ख)

प्रस्तार 25 (ए)

